The French Government has imposed an unfair ban on Sikhs living in France to wear turban and other religious symbols in public schools. This ban has been in effect since March, 2004. Now, an independent group of Sikhs, living in the USA and other European countries under the banner of 'United Sikhs', has filed a case before the United Nations Human Rights Commission (UNHRC), challenging the ban on Sikhs to wear turbans by the French Government.

Sir, this issue needs to be taken up urgently. I, therefore, urge the Government of India to take immediate steps to take up the matter with the UNHRC through Government of India's representative at the UNO/UNHRC. And, I request ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that is all. ...*(Interruptions)*...

SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI: And also pass a Resolution in *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, वह काट दिया गया है, वह नहीं आएगा।

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, I associate myself.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: महोदय, यह issue बहुत important है।

श्री उपसभापति: देखिए, Special Mention में जितना accept किया गया है, उतना ही जाएगा।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: महोदय, Religious sentiment है तो House को regard करना चाहिए। unanimous Resolution हो, तो इसको कौन oppose करेगा? इसका कोई भी oppose नहीं करेगा। This is a very important issue.

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

————————

STATUTORY RESOLUTION

Approving the Proclamation issued by the President on the 19th January, 2009 in relation to the State of Jharkhand

and

MOTION

Recommending to the President revocation of the Proclamation issued on January 19, 2009 in relation to the State of Jharkhand

and

GOVERNMENT BILLS

The Jharkhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009

and

The Jharkhand Appropriation Bill, 2009 — *Contd.*

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं झारखंड के Appropriation Bill और झारखंड के Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके साथ-साथ वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उसके बारे में जो मोशन है, उस पर भी मैं बोलना चाहूंगा। महोदय, दो बिल

हैं। एक बिल है कि This Act may be called the Jharkhand Appropriation Act, 2009 — जिसके तहत 2008-09 के लिए 1501,03,57,991 रुपए की request की गयी है, सदन से permission मांगी गयी है। दूसरा, 2009-10 के लिए 9014,95,71,531 रुपए के लिए सदन की अनुमति मांगी गयी है। महोदय, पूरे झारखंड के करीब 52 विभागों का आकलन दिया गया है जिसमें Agriculture Department से लेकर Youth, Art and Culture Department सबका उल्लेख किया गया है। महोदय, मैं झारखंड से आता हूं। जब 2000 में झारखंड का reorganisation of State हुआ, उस वक्त मैं बिहार से चुनकर आया था और बिहार से चुनकर आने के बाद झारखंड प्रदेश मुझे अलॉट किया गया। झारखंड का इलाका साउथ बिहार कहलाता था और यह साउथ बिहार का ही हिस्सा था। मैं नॉर्थ बिहार का रहने वाला था, लेकिन मुझे यह इलाका allot किया गया और वहां के एम.एल.एज़. ने पुनः मुझे 2006 में निर्वाचित करके यहां भेजा। यह मेरा करीब दूसरा टर्म झारखंड से है। महोदय, आठ वर्ष हो गए। झारखंड के बारे में बहुत सारी आकांक्षाएं थीं कि एक नया राज्य बनेगा तो अच्छी तरह से administered होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि खनिज पदार्थों में सबसे धनी राज्य, जंगलों के produce के लिए भी सबसे धनी राज्य, medicinal plants में सबसे धनी राज्य और अगर manpower के बारे में सोचा जाए तो झारखंड के बहुत बड़े-बड़े लोग हुए — स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते वक्त बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में झारखंड में पूजा जाने लगा। आज माही, महेन्द्र सिंह धोनी को भी गली-गली में क्रिकेट उपासकों के द्वारा पूजा जाने लगा है। उसको झारखंड ने produce किया है। यही नहीं, तीरंदाज़ी में, अच्छे athletes, अच्छे फुटबॉल खेलने वाले, अच्छे क्रिकेट खेलने वाले, अच्छे हॉकी खेलने वाले — हॉकी खेलने वालों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अग्रणी रही हैं — झारखंड से हुए हैं। जिस झारखंड में कोयला, iron ore, mica, uranium — क्या नहीं है उस धरती के पास, सब कुछ है। कल हमारे सीनियर सांसद यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे बगल में कोई बैठा हो तो घबरा जाता है, दूर हट जाता है। लेकिन पिछले आठ वर्षों में जो कुछ झारखंड में हुआ, विशेषकर पिछले चार वर्षों में जो कुछ हुआ, वह सुनकर, देखकर, पढ़कर कभी-कभी शर्म से सिर नीचा हो जाता है। महोदय, इतने कल-कारखाने होने के बावजूद वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसका फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं, जो उठा भी रहे हैं। लोग कहते हैं कि वहां इतने जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित होने के पीछे बहुत research किया गया। इस सरकार ने कहा कि socially and economically oppressed है इसलिए वे नक्सलवादी बने। कोई, कोई परिभाषा देता है, कोई, कोई परिभाषा देता है। इसको अगर आम चीज से देखा जाए, ध्यान से सोचा जाए, तो जिस गांव में जाने के लिए सड़क न हो, जिस गांव में बिजली न पहुंची हो, पीने का पानी न हो और जो पीने का पानी उपलब्ध हो, उसके पीने से पेट में गिनी वार्म पैदा होते हों, जिस गिनी वार्म का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, तो वहां पर हमारा चाहे वह ड्रिंकिंग वाटर मिशन रहा हो, चाहे हमारा यूनिवर्सल immunisation मिशन हो रहा हो और चाहे हमारा यूनिवर्सल एजुकेशन मिशन रहा हो या हैल्थ मिशन रहा हो या एम्प्लोयमेंट मिशन रहा हो, वह सारा का सारा वहां जाकर बुळा जाता है, फेल हो जाता है, धंस जाता है और लोग कहते हैं कि हैंडलिंग लौस हो गया। पैसा चलते-चलते घिस जाता है, रुपया चलते-चलते आम जगह में 15 पैसे पहुंचता है, जबकि यहां तो तीन पैसे ही पहुंचता है, जबकि इतनी जगह चुंगियां भी हैं। कल हमारे वरिष्ठ सांसद कह रहे थे कि कुछ मंत्रियों ने नोट गिनने की मशीन लगा ली है। किसी एक मंत्री को रिश्वत में कोई जाली नोट दे गया। तो उन्होंने बैंककर्मी से पूछा कि जाली नोट को पकड़ने की क्या व्यवस्था है? बैंककर्मी ने कहा कि हमारे यहां एक लाइट लगती है और लाइट में हम उस नोट को रखकर देखते हैं। तो मंत्री जी नंे कहा कि हमारे यहां भी लाइट लगवा दो। यह सब अखबारों में छपा तो लोगों ने सवाल किए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है?

श्रीमती जया बच्चन: आप अखबार की सारी बातें मान लेते हैं?

श्री एस0एस0 अहलुवालिया: कभी-कभी माननी पड़ती हैं।

महोदय, झारखंड में बहुत कुछ किया जा सकता था। जब झारखंड एक छोटा राज्य बनाया गया था, तो उस वक्त सोचा था कि अगर इस राज्य को आगे ले जाया जाएगा तो भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। इसमें हर तरह की शक्ति उपलब्ध है, हर तरह की ऊर्जा उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है। जब झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन चला तो हमारी पार्टी ने इसको वनांचल के लिए किया, किसी ने झारखंड के लिए किया और यह आंदोलन चलता रहा। अलग राज्य बनाने के पीछे उनका यह कहना था कि हमारे लिए पटना बहुत दूर है, पाटलिपुत्र बहुत दूर है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के टाइम में रांची समर केपिटल थी, जिस तरह से शिमला समर केपिटल है, दार्जिलिंग समर केपिटल है, वैसे ही रांची समर केपिटल हुआ करती थी। वह इलाका जहां आज हर तरह का माफिया उपलब्ध है। वहां हर तरह की तोलानी, हर तरह का हफ्ता उठता है। हर तरह के लोगों का संरक्षण है, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो और यह सोशल और इकॉनोमिक शोषण के पीछे मुख्य काम जब होता है, जिसके पीछे कमाई होती है। कमाई, चाहें धरती पर हल चलाकर हो या फल-फूल पैदा करके हो या जंगल की सम्पत्ति से हो या खनिज पदार्थ से हो, मगर कमाई होती है। पर उस कमाई का फिर सदुपयोग होता है, अगर वह अच्छे कामों में लग गया तो अच्छे कामों में लगकर सदुपयोग होता है, और अगर उसका दुरुपयोग हो गया तो दुरुपयोग के कामों में लगता है। इस व्यवस्था के साथ-साथ वहां पर जुड़ा होता है जस्टिस सिस्टम। वहां जस्टिस सिस्टम भी कॉलेप्स कर गया है। एक छोटे से गांव का ट्राइबल मीलों चलकर अपनी डेट भुगतने कचहरी जाता है। उसका केस क्या है? केस यह है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर घर ले जा रहा था। किसी पर बकरी चोरी का केस लगा दिया है या उसकी गाय किसी फलानी जगह जाकर चर आई, इस तरह का केस लगा दिया गया, या छोटा-मोटा कोई केस इंडियन पैनल कोड के तहत लगा दिया। हो सकता है उस केस की सजा कुछ दिनों की हो या कुछ महीनों की। पर जब वह कचहरी पहुंचता है तो वकील का मुहरी कह देता है कि अगली डेट पड़ गई है। मजिस्ट्रेट साहब, हाक़िम साहब नहीं आए हैं या हाक़िम साहब की बारी नहीं आई या आपके केस की बारी नहीं आई। यह जस्टिस सिस्टम भी लोगों को मजबूर करता है कि इस सिस्टम में खिलाफ आवाज उठाओ। जब आदमी मजबूरी के कारण रोष में खिलाफत करने लगता है, तभी लोग उसे आकर घेर लेते हैं कि अरे भाई, तुम हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। उसके खाली हाथ थे, वह खाली हाथ लेकर आंदोलन कर रहा था, उसके हाथ में पहले लाठी पकड़ा दी जाती है, यदि लाठी से कुछ नहीं बने तो उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाती है, तलवार से कुछ न बने, तो बंदूक पकड़ा दी जाती है और बंदूक से कुछ नहीं बने, तो माइन्स पकड़ा दी जाती हैं। हमारा राज्य इसी से ग्रसित हैं। उसके लिए हर श्रेणी का अधिकारी जिम्मेदार है, चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह पुलिस का हो और चाहे वह जुडिशियरी का हो।

उपसभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पिछले कुछ वर्षों में धड़ाधड़ एम.ओ.यू. साइन हुए, पता नहीं ढाई सौ या तीन सौ या चार सौ, आयरन ओर के एम.ओ.यू. साइन हो गए। एक छोटा-सा सवाल अगर करें कि आपकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्या है? आप जहां किसी को आयरन ओर निकालने के लिए या कोई खदान बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, वहां पर ट्रायबल बसा हुआ है और वह ट्रायबल की जमीन है, तो जब उसको वहां से हटाएंगे, उस विस्थापित को पुनर्विस्थापित करने के लिए क्या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, जो कि समथा जजमेंट के नाम से जानी जाती है और वह आंध्र प्रदेश के एक ट्रायबल ने इन्हीं खानवालों के खिलाफ की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि आपको चार-पांच चीजें उनको मुहैया करानी हैं। पहली बात एम्पलायमेंट की है। जिस किसी को आप वहां से विच्छेद कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उस विस्थापित को आप रोजगार का बंदोबस्त करके देंगे। फिर शेल्टर, उसको रहने के लिए मकान देंगे, क्योंकि उसकी झोंपड़ी तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, उसके खेत-खलिहान छीन रहे हैं। तीसरा, उसको हैल्थ फैसेलिटीज़ मुहैया कराएंगे अर्थात हॉस्पिटल की सुविधा देंगे। उसको एजुकेशन मुहैया कराएंगे, उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराएंगे। अगर ये किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, तो फिर हमारा संविधान क्या है, फिर यह व्यवस्था क्या है? वहां पर सैकड़ों एम.ओ.यू. साइन हो गए, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है? लोगों ने

बड़े-बड़े अर्थ-मूवर्स, बड़ी-बड़ी मशीनें भी वहां तोड़ने-फोड़ने और उखाड़ने के लिए भेज दीं। वहां पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उपसभापति महोदय, पिछले कई वर्षों में वहां पर जो रेवेन्यु जेनरेशन है, वह कम हो गया। जो रेवेन्यु इकट्ठा होना चाहिए, वह इकट्ठा नहीं होता है। जब आप जानते हैं कि वहां पर इतना रेवेन्यु आना चाहिए क्योंकि इतने कारखाने हैं, इतना व्यवसाय है, इतनी माइनिंग्स हैं, तो इतना रेवेन्यु आना चाहिए। जब रेवेन्यु पूरा नहीं आता है, तो उसके पीछे क्या कारण है, या तो कोई रेवेन्यु चोरी कर रहा है या रेवेन्यु चोरी करने में कोई मदद कर रहा है। बिना मदद के रेवेन्यु चोरी नहीं किया जा सकता है क्योंकि रेवेन्यु अधिकारी का काम रेवेन्यु कलेक्ट करना है। जब वह सो जाता है या सुस्त हो जाता है, तो रेवेन्यु कलेक्ट नहीं होता है। जब स्टेट का रेवेन्यु नहीं आएगा, तो स्टेट केन्द्र पर आधारित हो जाएगा या कर्जदार हो जाएगा। यह वैसे ही है, जैसे एक परिवार को कोई चलाये और कोई इन्कम नहीं हो, तो वह मनीलैंडर्स के पास जाएगा। वह मनीलैंडर्स से पैसा लाएगा और अन्ततः अपने सारे पैसे वहां पर जाकर दे आएगा। अपनी सारी जमीन, अपने सारे गहने और जितने एसेट्स हैं, उनको बंधक कर आएगा। कल को हमारा राज्य भी अपने सारे एसेट्स को बंधक करके पब्लिक से पैसा उठाएगा। आप एक राज्य को बाध्य कर रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया है और कल हमारे वरिष्ठ सांसद जी ने वहां के राज्यपाल पर बहुत बड़े प्रश्न चिह्न लगाए हैं, तो मैं उस पर नहीं जाता हूं। राज्यपाल भी एक व्यवस्था के अंदर काम करते हैं। उनके एडवाजर्स हैं, उनके साथ आफिसर्स हैं और उनको उस व्यवस्था में काम चलाना है। पिछले आठ वर्षों की जो कुरीतियां हैं, कम से कम उनमें संशोधन लाएं, उनको सुधारें और वहां के सिस्टम को streamline करें।

महोदय, मैं देख रहा था कि वहां के पुलिस कर्मचारियों की अवस्था बहुत बुरी है। अभी वहां पर करीब ९ हजार कांस्टेबल की वेकेंसीज हैं और इसकी बहाली नहीं हो सकी। हमारे गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि पुलिस की बहाली कैसे होती है? अगर स्टेडियम में दौड़ाकर और छाती माप कर तथा ऊंचाई माप कर होती तो बहाली हो गई होती। छाती माप कर, ऊंचाई मापकर और दौड़ा कर, इसके बावजूद भी कुछ लगता है, जो कि उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि वह गरीब उसकी ऊंचाई हासिल नहीं कर सका, तो इसलिए बहाली नहीं हुई। यह बहाली तुरंत हो और जो तीसरा क्राइटेरिया है, वह बंद हो। सिर्फ उसकी छाती, ऊंचाई और दौड़ लगाकर ही उसको बहाल किया जाए। जो उसमें तीसरा क्राइटेरिया जोड़ा जाता है कि और भी कुछ है, भाव की बात, वह बंद हो। महोदय, हम कह तो देते हैं कि वहां पर हमारा नक्सलाइट प्रभावित है, नक्सलाइट को सरेंडर कराने के लिए टाइम टू टाइम पॉलिसी की एनाउंसमेंट होती है, किन्तु Surrender Policy का आज तक review नहीं हुआ है। Surrender Policy कराकर उनको कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, उनसे क्या कराएंगे, उनको national mainstream में कैसे लाएंगे, इसकी कोई कोशिश नहीं हुई है। आपके पास तो दो ही रास्ते हैं। पश्चिमी बंगाल में 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर राय जी चीफ मिनिस्टर थे और वहां पर नक्सलाइट का बहुत प्रभाव था। उन्होंने मिलकर एक नई elimination theory लगा दी कि जो पकड़ा जाए, उसको कोर्ट मत भेजो, मार डालो, लेकिन वह चली नहीं । कोई भी विचार रक्त बीज़ दाव की तरह है, जहां गिरेगा वहीं और दानव पैदा हो जाएंगे। अर्थात् जब तक आप उस विचार को दूसरे तर्क से या विचार से या उसको समझाकर खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप भूले भटके को वापस नहीं लाएंगे, तब तक आप उसको बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि बदले के लिए जो उसके अंदर grievances हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। यह elimination Policy नहीं चलेगी। उसकी Rehabilitation Policy चाहिए, वह कहां है? वह दिखती नहीं है। हमारे confrontation में जाकर यह होता है कि रोज हमारे जवान मारे जाते हैं। महोदय, इन सारे खनिज पदार्थों के साथ, सारे जंगल-जंगलात के साथ भी जो वहां का आम tribal population है, वह टोटली agriculture पर निर्भर है। agriculture पर निर्भर होने से जो irrigation project है, आज तक वह irrigated land ज्यादा बन नहीं सकी, शायद 6 परसेंट irrigated land है। जबकि वहां पर 6-7 नदियां हैं, dams हैं। हम उनका सदुपयोग नहीं कर सके हैं, जबकि उनकी सख्त जरूरत है।

हम उनको भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं कि rainfed areas में बारिश होगी, तो लोग खेतों में अनाज उगाएंगे। हम सारे भारत में देखते हैं कि जमीन दो फसली या तीन फसली है। लेकिन यहां पर जमीन एक फसली है। एक बार पैदावार हो गई, तो उसके बाद खेत खाली है। महोदय, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहां इतना बड़ा बजट लाया गया है, मैं कल टीवी पर देख रहा था कि बंगलादेश में बगावत हो गई, BDR वालों ने बगावत कर दी। मैं कल रात Internet पर यह ढूंढता रहा कि बगावत का मूल कारण क्या था? मूल कारण निकला कि वे salary बढ़ाने की बात कर रहे थे। वे बहुत दिनों से परेशान थे। सैलरी बढ़ाने से उनको नकारा जा रहा था। जो इन्फ्लेशन और ग्लोबल मेल्ट ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, it is 1 o'clock. You will continue after lunch.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I will continue after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, before lunch I was speaking on the Jharkhand Appropriation (Vote on Account) Bill 2009, the Jharkhand Appropriation Bill, 2009 and the Presidential Proclamation in Jharkhand. सर, मैं बोल रहा था कि बीडीआर का आन्दोलन क्यों चला? यह salary के लिए चला। पीछे हमने देखा कि 6th Pay Commission को लेकर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने भी बड़ा आन्दोलन किया और उन्होंने अपने सारे gallantry awards वापस कर दिए। वे मांग रहे हैं और उनकी मांगें जायज हैं और वे पूरी करनी चाहिए। हम 6th Pay Commission के तहत Central Government employees को relief दे चुके हैं, आधी दे चुके हैं, कुछ और दे रहे हैं और कुछ मार्च तक पूरी करेंगे। महोदय, जब इत्तफाक से झारखण्ड सरकार केन्द्र सरकार के अधीन आ गई है, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ 6th Pay Commission भी लागू किया जाए। परन्तु हमारे सामने जो The Jharkhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009 और The Jharkhand Appropriation Bill, 2009 रखा गया है, इसमें मुझे 6th Pay Commission का कोई प्रावधान नज़र नहीं आया। मेरी मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि आपने जिस प्रकार 6th Pay Commission में Central Government employees को जो भी दिया है, उस प्रकार या किसी दूसरे State Government का model adopt करके झारखण्ड के State Government employees की तन्ख्वाहें बढ़ाने का बन्दोबस्त भी करें।

महोदय, मैं बोल रहा था कि हर स्तर पर वहाँ पर अड़चनें आईं और शोषण हुआ, जिसके कारण हमारी जो इच्छा थी, आकांक्षा थी कि हमारा झारखण्ड उन्नति के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उससे रुकता गया। उसके पीछे कारण यह है कि जब वहाँ कोई भी योजना जाती है, चाहे वह केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना हो या 100 परसेंट राज्य की योजना हो, वहाँ हमारी चलती भाषा में कहते हैं कि उस योजना में बकरा है कि नहीं। बकरा means cut है कि नहीं, हिस्सेदारी मिलती है कि नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं, अन्यथा वह आगे बढ़ती नहीं। मैं CAG की Appropriation Accounts of 2007-2008 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं इसके पृष्ठ संख्या 40 पर पढ़ रहा था, जहाँ पर Grant No. 2 के बारे में लिखा हुआ था, जिसका head है, Animal Husbandry Special Component Plan for Scheduled Castes, then, उसका second head है, Distribution of

Poultry Units, फिर दूसरा है, Tribal Area Sub-Plan Distribution of He-Goats Unit, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैंने देखा कि यहाँ पर इस मुर्गी में और कुछ मुर्गी नहीं मिली या बकरे में बकरा नहीं मिला, इसलिए इसका implementation ही नहीं हुआ या allotment ही नहीं हुआ। कहते हैं कि 'Non-utilisation of entire provision of Rs. 60 lakh and Rs. 24 lakh in the above two cases was attributed to provisions of fund for minor works for construction/renovation of veterinary hospital'. इस तरह नॉन यूटिलाइज़ेशन हो गया। उसमें खर्च हुआ ही नहीं, उसे खत्म कर दिया गया।

दूसरा, डेअरी डेवलपमेंट के लिए वहां पर हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम में non-utilisation of entire provisions of Rs. 37.5 lakhs and Rs. 23.34 lakhs in the above two cases were attributed to non-receipt of Central Government Aid. इस तरह केन्द्र सरकार ने पैसा ही नहीं दिया।

उसके बाद ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए — फिशरीज़। हमने सुना था पंजाब ग्रेनरी में नम्बर वन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन में नम्बर वन हो गया और फिर ब्ल्यू रेवोल्यूशन, that is, fisheries, उसमें भी नम्बर वन हो गया है। जहां मछली खाने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि अगर पंजाब से कलकत्ता मछली लेट पहुंचे, तो महंगी हो जाती है। लेकिन जहां मछली खाने वाले लोग है, वहां पर फिशरीज़ डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देना है, वह तो वहां खर्च भी नहीं हुआ। फिर "Specific reasons for non-utilisation of entire provisions have not been intimated." To whom? To the CAG. This is not intimated. So, one can understand कि वहां पर सब कुछ किस तरह से चल रहा था। फिर आगे है, "In the following cases, the entire provisions remain unutilised." तो कहते हैं, "Assistance of credit to Cooperatives", totally unutilized" है। Contribution to the share capital of other special types of Co-operative Societies for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Backward Classes and Women — उसमें भी अनयूटिलाइज्ड। Tribal Area Sub Plan — उसमें भी अनयूटिलाइज्ड।

महोदय, हाइडल पावर के थ्रू पावर जैनरेट किसके लिए करना है? They say, "For the Special Component Plan for the Scheduled Castes", this also remains unutilised. Then, Rural Electrification, that is also unutilised. It says, "The reasons for non-utilisation of entire provisions of Rs. 11.79 lakhs, Rs. 62.50 lakhs and Rs. 50.71 lakhs in the above three cases have not been intimated till August, 2008.

महोदय, मैं इस किताब को जितना भी पढ़ता हूं, उतना ही देखता हूं कि हर जगह यह होता रहा है। इसके लिए किस तरह से फाइनांशियल प्लानिंग थी, मुझे नहीं मालूम। वोट ऑन एकाउंट लाने से पहले एवं एप्रोप्रिएशन बिल लाने से पहले सीएजी की इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय ने देखा है या नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है, तो वे इस पर ऐक्शन टेकन क्या करेंगे?

फिर सर, there are the Special Component Plan for the Scheduled Castes, loans to the Jharkhand State Electricity Board under the Accelerated Power Development Programme and Tribal Area Sub Plan. प्लान के अंदर non-utilisation of entire provisions in the above two cases was attributed to non-receipt of funds from the Central Government. अर्थात् सैंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसा नहीं दिया। सैंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती और जहां देती है, वहां उसका उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि उस बकरे में उनको बकरा नहीं मिलता। Sir, there is the Appropriation (No. 14), उसके बारे में सीएजी ने कहा है, "In the following cases, the expenditure was incurred without Budgetary provisions." उसमें Rs. 2.45 crores, Rs. 50.58 crores, Rs. 112.07 crores and Rs. 101.14 crores, ये सब विदाउट बजट प्रोवीज़न के पास किए गए।

महोदय, अगर पूरी पुस्तक मैं पढ़ूं तो हर दूसरे पेज पर मुझे ऐसा एक प्रावधान मिलता है, जहां पर सी.ए.जी. को हमने इन्फॉर्म ही नहीं किया है या फिर हमने फंड को यूटिलाइज़ ही नहीं किया है। हाँ, ऐसे बहुत-सारे केसेज़ वहाँ पर हैं, जैसे सी0बी0आई0 का एक केस ट्रैक्टर सप्लाई के सिलसिले में चल रहा है। वहाँ एग्रिकल्चर परपज़ के लिए ट्रैक्टर सप्लाई हेतु गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, लेकिन वे ट्रैक्टर्स कभी पहुँचे ही नहीं। उस पर सी0बी0आई0 का केस चल रहा है। मंत्री महोदय को उसका संज्ञान होगा और अगर नहीं है तो वह उसका संज्ञान लें कि आखिर वह कौन आदमी है, किसका पार्टनर है, कौन अधिकारी या कौन राजनीतिक नेता उसको संरक्षण दे रहा है? जहाँ इन गरीब आदिवासियों की मदद के लिए ट्रैक्टर खरीदने की परियोजना बनाई गई, वे सारे ट्रैक्टर्स वहाँ नहीं पहुँचे।

महोदय, गड़बड़ियाँ कहाँ-कहाँ से निकाली जाएँ! मैं गुमला का एक उदाहरण देता हूँ। जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, उस योजना में प्रावधान है कि अगर ग्राम सड़क योजना में यदि मार्ग के बीच में 50 मीटर लम्बी कोई पुलिया आती है, तो उस पुलिया को उसी सड़क के कॉस्ट के साथ जोड़ कर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वाले कर देते हैं। अगर वह पुलिया 50 मीटर से ज्यादा लम्बी है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से प्रावधान करती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास करीब 50 ऐसी सड़कों की लिस्ट है, जिनमें करीब 30 ऐसी पुलिया का उल्लेख है। उन 30 पुलिया में से सिर्फ 5 ही ऐसी हैं, जो 50 मीटर से ज्यादा हैं और बाकी छोटी हैं। उनका भी प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में रखा जा रहा है या उसको रोका गया है, क्योंकि उसमें और कुछ पैसा बनाने की कोशिश है। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप सी0ए0जी0 का कोग्निजेंस नहीं लेते, ए0जी0 झारखंड का कॉग्निजेंस नहीं लेते, विधान सभा या लोक सभा में कोई प्रश्न उठे, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेते, तो इस पर अंकुश लगाएगा कौन? इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर इस पर अंकुश न लगा तो इससे यह होगा कि जो झारखंड की गरीब जनता, देहात में रहने वाली जनता, गाँव और दूर-दराज में रहने वाली जनता का पैसा, जो उसके विकास में लगना चाहिए, उसका pilferage होगा, गलत तरीकों के लिए उसका दोहन होगा। मैं उस राजनीतिक पक्ष में किसी पर blame की राजनीति में नहीं जाते हुए एक साधारण-सी बात करता हूँ कि यह एक अच्छा मौका भी है। आपने राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया है, तो यह एक अच्छा मौका भी है कि जिस वक्त आप राज्य के सिस्टम में ट्रांस्पैरेंसी लाएँ, डिस्प्लिन लाएँ, कठोर हाथों से उसको डील करें। फाइल में बार-बार यह जो लिखा जाता है या कहा जाता है कि यह काम करना असम्भव है, तो उस असम्भव शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें तथा असम्भव को सम्भव बनाने की कोशिश करें।

महोदय, यह एक ऐसा राज्य है, जो भारत का सर्वोपरि राज्य बन सकता है। वह सारा कुछ उसको उपलब्ध है। प्रकृति ने, धरती माँ ने उसे सब कुछ दिया है। इसमें सिर्फ चाहिए हमारी मंशा, कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि एक राज्य सम्पूर्ण रूप से, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो? हम पूरे देश को कोयला देते हैं, लेकिन रॉयल्टी में हमें क्या मिलता है? रॉयल्टी का जो *ad valorem* हमें मिलना चाहिए, वह हमें नहीं मिलता है। हम सारे देश को आयरन ओर देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हम सारी दुनिया को माइका देते हैं। अभ्रक की खानें हमारे यहाँ ही हैं। सारी दुनिया अभ्रक यहीं से लेकर जाती है। जब तक सिलिका चिप्स नहीं आये थे, तब तक हम अभ्रक पर ही निर्भर थे, माइका पर ही निर्भर थे। हम सारी दुनिया को अभ्रक देते हैं और उस राज्य की हालत आज यह है कि उसे देख कर मन दुखी होता है।

महोदय, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको, इन दो-चार महीनों में — क्योंकि जुलाई तक आपका समय है — मैं राजनीतिक बात न कहते हुए सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जो कुछ मैंने देखा है, विशेष कर पिछले 5 वर्षों में जो कुछ देखा है, उससे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। यह खरीद-फरोख्त की राजनीति बन्द होनी चाहिए। अभी भी जब आपने असेम्बली को in suspension रखा है, तो लगता है कि फिर

खरीद-फरोख्त होकर शायद वहाँ सरकार बनने की कोई कोशिश होगी। इस मंशा को, इस आशा को, इस कल्पना को, इस सपने को खत्म करने के लिए अविलंब उस असेम्बली को डिजोल्व करने की जरूरत है। आप वहां से लोक सभा के 14 सांसदों का चुनाव कराएंगे, उन्हीं वोटर्स ने वहां चुनाव करना है, उन्होंने ही इन सांसदों को चुनना है, तो जब वे लोक सभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उसी समय अपने क्षेत्र के विधान सभा के प्रतिनिधि को भी चुन लेंगे। खर्चा उतना ही आएगा। इसलिए एक राज्य, जो हर तरह से प्रभावित है, उस राज्य को इस त्रासदी से बचाने के लिए एक ही समय में दोनों, लोक सभा और विधान सभा, के चुनाव आप करा सकते हैं।

महोदय, मैं समझता हूँ कि आज एक क्लीयर इंडिकेशन देने की जरूरत है विधान सभा को भंग करके, और विधान सभा भंग करके आप यह मैसेज सिर्फ इनको ही न दें, क्योंकि अधिकारी भी, जो वहां काम कर रहा है, उसके मन में यह डर है कि आज मैं अगर किसी राजनैतिक नेता या राजनैतिक कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करता हूँ, तो हो सकता है कि कल यह मुख्य मंत्री बन कर मेरे सिर पर बैठ जाय और इस डर से वह अधिकारी भी काम नहीं कर पा रहा है। जिस वक्त आप विधान सभा भंग कर देंगे, वहां राज्यपाल का शासन होगा, अर्थात केन्द्र सरकार का शासन होगा, राष्ट्रपति का शासन होगा, तो शायद आप वहां के अधिकारियों को एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे, जिससे वे अधिकारी निष्पक्ष होकर, निडर होकर, निर्भयी होकर अपना काम कर सकेंगे और सरकारी योजनाएं, जो राज्य को विकास के पथ पर ले जाने वाली हैं, उनकी तरफ वे अग्रसर होंगे।

महोदय, मैं इतना ही कहकर, इन चीजों का समर्थन करते हुए, साथ ही अपनी मांग रखता हूँ कि वहां की विधान सभा को डिजोल्व किया जाए और लोक सभा के चुनाव के साथ वहां की विधान सभा के लिए चुनाव कराये जाएं। धन्यवाद।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to speak on this. The Government in Jharkhand fell four times in four years since the last State Assembly election in February, 2005. The State of Jharkhand is now under the President's rule and the State Budget is before the Parliament.

Sir, both the NDA and the UPA combinations resorted to opportunism for electoral gains in Jharkhand and are responsible for the political instability in the State. There is a strong opinion in the country that the State Assembly is kept under suspended animation for electoral gains of the ruling party in the coming Lok Sabha elections, though there is no possibility of forming a stable Government at the present scenario. This is a subversion of democratic process. The Assembly should have been dissolved and the people of Jharkhand should have an opportunity to elect the new Assembly and the Government there.

Sir, both the regimes in the State, the Governments were formed by horse trading is a known fact and corruption reached the highest level. The Jharkhand High Court is hearing cases of corruption against half of the twelve member cabinet and ex-Ministers. *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please wait, hon. Member. You are specifically mentioning the name of a court and corruption. That cannot go on record. ...*(Interruptions)*...

*Not recorded.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Long-pending displacement issues of lakhs and lakhs of people are yet to be settled by Defence, Civil Aviation and Coal Departments of the Central Government, State Government, the Central PSUs and private companies, which includes land requisition by Defence and for Ranchi airport, threat to Jharia town and Dhanbad Corporation area due to underground fire. When the public represented that Government should move to mitigate the hardships of the people, the situation in Jharkhand is absolutely detrimental not only to the democratic process but to the people of that State. Since formation, eight tribals were killed under NDA and UPA regimes in the State in the name of development and the people who were opposing displacement. Sir, 98 MoUs were signed off by successive Governments for exploitation of rich mineral resources of Jharkhand mainly for iron ore and coal requiring lakhs of acres of land. Private companies are given free hand to grab land, using musclemen, and, the Government, acting as their subordinates, is openly flouting the provisions of the Fifth Schedule of the Constitution. No Panchayat body is there in Jharkhand. Chota Nagpur and Santhal Paragana Tenancy Act is there for acquiring land for industries. Sir, we know that Jharkhand is a food deficit State having about 22 lakh metric tonnes of food grains as annual production, with good monsoon rains against annual requirement of 45 metric tonnes. Only 46 per cent land is cultivable and less than five per cent is irrigated. There is pressure on these lands in the name of development resulting in displacement. Sir, PDS in Jharkhand is in shambles due to Central Government's policies and corruption at the implementation level. Thirteen hunger deaths have been reported since 2008 in which majority are primitive tribes. In Jharkhand the total number of BPL families have been reduced by 5,12,380 and APL by 9,60,320 families after the last survey. Central Government supply of food grains was much less than the allotted quota even to the BPL and their families. Supply to APL quota has virtually stopped. Sir, as I mentioned, the State has been deprived of Panchayati Raj elections by successive Governments of NDA and UPA on one plea or the other. Sir, in the Jharkhand State, we know — I come from the State of West Bengal, the bordering State of Jharkhand, — how the Naxalites, Maoists, extremists are rampaging and even in the bordering State of West Bengal. Sir, even the Chief Minister of our State was attempted to be murdered very recently while returning from a foundation laying stone ceremony of an industry. Their main purpose was to stop the development process of the State after ransacking the whole of Jharkhand State. Sir, I demand and I protest for keeping us in suspension there. Immediate elections should be held; opinion of the people of Jharkhand should be undertaken. Now, the administration should take positive steps so that the law and order of the State is maintained. With these few words, Sir, I conclude my speech.

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Thank you, Sir. Sir, Shri Yashwant Sinha spoke yesterday. My elder brother, Shri Ahluwalia, spoke for almost half an hour. Mr. Mukherjee has spoken on Jharkhand. The first few speakers are Jharkhand MPs and they know what is happening in Jharkhand and they have been living there. They have been there for a longer period than me. I have been in Jharkhand for less than 3 years now. I certainly make an attempt to

showcase how Jharkhand has started to develop. It is true that a lot of mistakes have been done in Jharkhand. I don't deny it. Sir, Jharkhand is a mineral-rich State, but the people of Jharkhand are the poorest in India. The recent Report of the World Bank, a recent Report brought out by Dr. M.S. Swaminathan Foundation, shows Jharkhand, among the 31 States of India, as far as malnutrition and food security is concerned, it is at the rock bottom. But attempts are being made to redeem the situation. Sir, Jharkhand has got almost 40 per cent of SC/ST population.

Today morning there was a first question of mine on Jharkhand. The physical infrastructure in Jharkhand is very poor. I have nothing much to say about it. But, an attempt has been made to improve the situation in Jharkhand. The current year's Budget is to be spent before 31st March of this year. Till January, 2009, Sir, almost 50 per cent of the Budget was spent. In the remaining two months, I am sure, an honest effort would be made to spend, at least, 30 per cent more so that almost 80+ per cent of this year's Budget will be spent by 31st March. This, I am sure, will give relief to the people of Jharkhand. Sir, now, this Budget has emphasised on certain issues. I am going to speak only on education, social welfare, rural development, healthcare and physical infrastructure.

Sir, Kerala and particularly Tamil Nadu have got almost 1450 PHCs. It is because of this, they have got 90 per cent institutional delivery. But, Jharkhand has now started building hospitals and renovating the Primary Health Centres. You will be shocked to hear that during the last 60 years Jharkhand has only one nursing school. Sir, 70 per cent of nursing schools of India are located in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra. But, whereas, Jharkhand has got only one nursing school. But, this time the Government of Jharkhand has applied for 10 nursing schools. I have encouraged a lot of people to apply for nursing schools. The hon. Health Minister is sitting here. I am sure, he is going to give us permission and we will improve human resources that way. Sir, the Government of India has sanctioned 17 polytechnics and for four polytechnics the Government has already given Rs. 8 crores and these 4 polytechnics will start functioning in the identified districts from the coming academic year. So, things are improving in Jharkhand. It is not that we are deep in the maroon, we will stay there and we will not come up. Yes, we have gone down and now we are trying to come up. I am an optimist and I really feel that we will do well.

Coming to food security, I would say, it is true that the number of BPL — just now Shri Chatterjee has mentioned about it — families has come down. Mr. Chatterjee also mentioning that the PDS does not work in Jharkhand. Yes, it was not working. What have we done is this? In a number of districts, we have cancelled the shops owned by traders and we are trying to give those shops to tribal women SHGs. Wherever we have given these shops to tribal women SHGs, they are doing very well. Almost 99 per cent of the beneficiaries are getting ration that is due to them. We have to change the earlier system. We are in the process of changing. So, things are improving.

Similarly, Sir, there are a lot of leakages in the Mid-Day Meal Programme. I don't deny that. Now, we are involving the SHGs all over the State. It is because of that things are improving. The ICDS or the AAY and other schemes are improving. Sir, a provision of Rs. 840 crores has been made this year for social welfare, ICDS and tribal welfare. ... so that the poorest of the poor, the BPL families, will be getting wheat at Rs. 2/- per kg and rice at Rs. 3/- per kg. So, we are here to ensure that the poorest of the poor is benefited. I do not deny that there are districts in Jharkhand where 70 per cent of the families fall under the BPL category. I can mention a few such districts. These are: Gumla, Simdega, Khunti, Lohardaga, Chaibasa, etc. These districts have a large number of BPL families. But it is not just that we were running the Government there for the last 2-3 years and we have created this situation. This has happened historically for the last 60-70 years, or, maybe 100 years. My colleague belongs to Orissa. But his forefathers were taken to Assam by the British to work as tea labourers. Because of the poverty, people went there. People went to Andamans also. Because for the last number of years, post independence, we have not improved the infrastructure, the things have stagnated. But, now, we have not only made honest efforts, but we are pursuing, with all our might, to see that the things change. For example, we have taken up rural electrification. Out of twenty-four districts of Jharkhand, almost in 10-12 districts electrification projects have been taken up and the work is in full swing. So, once electrification is done, people will not need kerosene oil. Now, the plight of the tribals is that they do not get kerosene oil because the traders won't sell it to them, but will give it to the petrol pump owners for mixing it with the diesel and petrol. But, in times to come, kerosene oil will not be needed. So, things are improving. Similarly, a lot of schools have been opened under the *Sarva Shiksha Abhiyan*; good buildings have been constructed; a lot of teachers have been appointed; all the minority schools, who were not getting grant-in-aid as they were not recognised, have been recognised; they are all, now, getting grant-in-aid. Most of the schools are giving mid-day meal too. So, things are improving. A lot of SC, ST children are also coming to schools and they are benefitting. It is not that they are left to languish.

I would also like to make a mention here that there are a lot of primitive tribes in Jharkhand. All the children of the primitive tribes, whoever graduate, get immediate employment in the Government sector. Up to now, hundreds of such children have been given employment. Whoever, from the primitive tribe, gets educated, gets employment. The primitive tribes, in Jharkhand, are also given rice and wheat, I think, almost free of cost. So, we are trying to keep up the primitive tribes so that they may not extinct. Vocational training is also provided to them. Almost 22 boys and girls have been sent to Bangalore and elsewhere for pilot training; hundreds have been sent for airhostess training; and 118 have been sent for nursing training. Since we do not have institutions in Jharkhand, they are being given stipend or scholarships and are sent elsewhere in the country to train them technically. So, this way, the State is constantly making efforts.

As far as self-help groups are concerned, a lot of self-help groups have been formed. Ninety per cent of them are women. These women are also given loans so that they can engage themselves in some business activity and make some money for themselves. And, because of these self-help groups there has been tremendous awareness in Jharkhand. Those who were not able to get PDS commodities are now getting it properly. Because, just like in Kerela, once they know what is their right, women collectively fight and are able to get their due. Sir, I now come to agriculture. Sir, almost 77 — 80 per cent of the people of Jharkhand live on agriculture. They have small and uneconomical holdings of one acre or two acres. And, if you do intensive agriculture, you can make a living out of it. But, here in Jharkhand, they depend upon rainfall and, sometimes, they get a crop and, sometimes, they don't get a crop. Today, Jharkhand has got, hardly, 6-7 per cent irrigation. But, earnest effort has been made now to increase irrigation in various ways. Lot of tribals have been given money to dig 25×20 feet wells. So, they are all digging their own wells so that they can have their own water. Similarly, a lot of dams were started 20 years ago when it was a united Bihar. Now, construction of those dams has been completed. Once work on those dams is complete, and new dams are also being constructed, once all these things happen, people will get assured water. Now electrification is being done, and the Jharkhand Government is also, from its own resources, spending money to give people three-phase connections so that when the water comes, when there is assured water, they will have three-phase electricity, they will be able to lift water and they can have not only one crop, they can have two crops or they can have three crops because they are very, very hard working people. They will live; they will improve their situation themselves. Then they will not need you and they will not need me.

I would like to bring to your notice one more point. Dr. M.S. Swaminathan, our colleague, he is not here today. He has gone to Denmark to speak there on genes. He had come to Jharkhand and I had the good fortune of taking him to 3-4 districts; Ranchi, Simdega and Gumla. I had to take him by helicopter. Unfortunately, it was not available. He volunteered to go by road. I took him there by road. He stayed in those dilapidated circuit houses and then, later on, he told me that he was very happy that he undertook road journey. He came to naxal-affected areas also. He spoke publicly there and he told me that he was very happy because he could see vast areas of fallow land. After one crop nothing happens there. And, now, he has given a proposal to the Government of Jharkhand and they are in the process of giving those three districts to him. He has already done agriculture planning for those three districts. Now, Dr. M.S. Swaminathan's organisation is going to take up those districts for intensive agriculture. He is going there on the 4th, 5th or 6th of April. He is going to announce that by this year end, 2009, one lakh hectare will be brought under second crop. So, we will also have to contribute. It is not that we just criticise. For the sake of criticism, I can also criticise for ten hours. But we should be constructive in our approach. And, we must do something. We have lot of people who are available to us. There are

many experts in this country. We have got technology in this country. So, we must make it available to the people. The Government of India, the Agriculture Department has huge amount of money. They have kept apart Rs. 25,000 crores from the Budget so that any State, or any district, if they want, they can prepare the projects and take those resources. So, we are going to do that. Once we do this in the three districts, we are going to replicate it in the whole of Jharkhand. Jharkhand has 24 districts. We are taking up three districts. If we succeed this year to bring one lakh hectare under second crop and, similarly, next year also, if we are able to bring another one lakh hectare under it, and, like this if we succeed, we are going to take full of Jharkhand for agriculture. As per Dr. M.S. Swaminathan, he says that Jharkhand has something like 1400 millimetre of rainfall, and hardly 10 feet below you have the ground water. You can suck it out and you can use it. The climate of Jharkhand is ideal for wheat. According to him, if you have 10 degree centigrade of night temperature for almost 45 days in a year, you can grow wheat. Jharkhand can, certainly, grow wheat and contribute to the national granary. India claims to be the highest grain producer of the world. Jharkhand can even contribute further because its people are hard working. The only thing you need is, facilities have got to be created by the Department. With the State under the President's Rule, the Bureaucracy willing to work and the people like Dr. Swaminathan coming there and establishing their organisations, we will be able to do it. Once we show-case that in two, three districts, we have succeeded, the whole of Jharkhand will do very well. The Second Green Revolution will be assured from Jharkhand's soil. I can give this assurance to you, Sir.

Sir, coming to ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन: आपके बाद मिनिस्टर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

सुश्री मैबल रिबैलो: बोलिए जया जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन: आपने मिनिस्टर साहब का काम आसान कर दिया। आपने इतने assurances दे दिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो: बिल्कुल। हम assurance दे रहे हैं। मैं आपको चैलेंज भी कर रही हूं, आप एक साल के बाद आइए। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको वहां लेकर जाउंगी। ...(**व्यवधान**)... आप आइए, मैं आपको वहां लेकर जाउंगी और आपको ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, Ms. Mabel, no cross-talking like that.

श्रीमती **जया बच्चन**: आप चैलेंज मत करिए, invite करिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, you cannot talk while sitting.

MS. MABEL REBELLO: Sir, I am a little unhappy on some of our projects on irrigation. Some irrigation projects have been sent here. I would request you, Sir, to use your good offices to get those projects cleared quickly because Jharkhand needs water and water is very essential.

Coming to naxals, Sir, it is true, Sir, that out of 24 districts, 20 districts are naxal-affected. All the youths, almost teenagers have taken to naxalism. Why, Sir? They have taken to naxalism because of historical reasons. Nobody has bothered to give them good education, skills and employment. Sir, recently, I went to Mizoram for election purposes. वे वाइस चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपके साथी वाइस चेयरमैन साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप बोलिए। I am listening to you, Ms. Rebello.

MS. MABEL REBELLO: I went there. Whom did I meet? Sir, I met Jharkhand tribals. They have been working there for years. ...*(Interruptions)*... आप क्यों बोल रहे हैं? हमें कभी-कभी ही बोलने का मौका मिलता है। आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ms. Rebello, address the Chair. ...*(Interruptions)*...

सुश्री मैबल रिबैलो: जब आप लोग बोलते हैं तो क्या मैंने कभी डिस्टर्ब किया है? अहलुवालिया जी जब बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द बीच में नहीं कहा।...(व्यवधान)...

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): आपकी तारीफ कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't get distracted by them. Please don't get distracted; address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड): वहां पर electricity नहीं है।...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: मिलेगी, आने वाले दिनों में मिलेगी।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): They are trying to take away your time. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb. You address the Chair.

MS. MABEL REBELLO: Sir, I am addressing you.

Sir, Jharkhand is the only State in India where Panchayat elections are not held. There were some problems. Some PIL had been filed. Now, it is in the Supreme Court. The Supreme Court has heard the case. We are waiting for the verdict of the Supreme Court. Because of that, almost Rs. 100 crores which should have gone directly to Panchayats, to the people, have not been released. They are being deprived of that money. This is the sad state of Jharkhand. The other day, I was in Colombo, Sir. There was an international organisation known as HUNGER. They also came there. They said, "we are working all over the world, even in India." I asked them, "Are you working in Jharkhand?" They said, 'No, we are not working in Jharkhand'. I asked why? They said, "we are not working there because you do not have Panchayat system there." This is the plight of the State, Sir. We need Panchayat system very badly, Sir. If panchayat is there, even the implementation of NREGA will become easy. Sir, we can take up a lot of projects if Panchayat system is there, but it is not there. Besides this, I would request the Government of India, even if Panchayat system is not there, Rs. 100 crores that is due to Jharkhand should be given, so that

people could use it. If you deprive a poor State of that little money, that will not be fair. Therefore, I would urge the hon. Minister of Finance to release Rs. 500 crores which is due to Jharkhand for the last five years immediately so that some relief is given to the people. And, I can assure you that that money will be used very well. No pilferage will be there; no leakage will be there, although Ahluwaliaji has been speaking about it. That much we can assure you. ...*(Interruptions)*... देखिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, यह गलत है।

Then, Sir, I come to *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.* I agree with what Ahluwaliaji has said. There are some mistakes. You see, we should have been able to do almost 8000 kilometres of roads, Sir, but, in Jharkhand, hardly 3000 kilometres of roads have been constructed. That is hardly thirty per cent. It is not fair. The Minister has come here. I would earnestly request the hon. Minister to ensure that 9000 kilometres of roads, which should have been constructed to connect hamlets and villages, especially of tribals where 500 tribals stay and where 1000 non-tribals stay, should be connected. Without rural connectivity, without road, without water, without electricity, without telecommunication, nobody can today manage to live well. Even if they produce something but if the road is not there, they will not be able to sell it. They will not get proper price for it. Sir, I can give you an example. Plenty of Jackfruit is grown in Jharkhand. Plenty. But when the tribals take it to sell it elsewhere, they get a pittance for that. That is because the rural connectivity is still inadequate. That is why this needs to be done, and we are trying to apply our mind for that. The bureaucracy is working. The Governor is there; the Advisors are there. They are all experienced people. One has been the Chief Secretary of Jharkhand, other one has been a DGP and the third one is a tribal herself from Jharkhand. She was the Secretary here to the Government of India taking care of drinking water. These three experienced people are applying their mind and they are trying to improve the situation. Almost on daily basis, they are sitting there and they are trying to clear the projects. They are trying to give a thrust to it so that the work can go on with full swing. So, things are improving.

Then, Sir, I come to human resource. It is true that human resource is still poor there. As I told you about nurses, similarly, I can talk about doctors, about technocrats, engineers, etc. We don't have that many institutions for educational purposes there. In education, the State average is hardly fifty per cent and the female education is hardly forty per cent. It is far below the national average. But we are working on it. Not only the Government, but even the NGOs, the private sector, etc., have also come forward, and they are applying their mind. They are trying to contribute their might, and, I am sure, in days to come, the education level will come up and the quality of education will also improve because if you get only a B.A. degree or 12th Standard Certificate, it is of no use. It will become a पेपर का टुकड़ा ... The education that you get should be qualitative so that you can be employable anywhere in the country, not only in Jharkhand. That is what I think.

Then, we have less number of Teachers' Training Schools. But now they are trying to have more Teachers' Training Schools at 12 plus level and at the graduate level. With that, I hope, the quality of education will improve. That is my dream.

Then, Sir, the maternal mortality rate has already decreased per lakh. Similarly, the infant mortality rate has also decreased. Sir, this is a plus point for Jharkhand. Sir, Jharkhand has 40 per cent of country's mineral resources. It is a mineral-rich State. If proper royalty is given to the State of Jharkhand and there is proper utilisation of the same, the human resource of Jharkhand would improve; infrastructure of Jharkhand would improve and people would have a better quality of life. What are we trying to do? We are trying to have better quality of life for the people of Jharkhand.

Sir, there are a lot of industries that want to come to Jharkhand. A lot of industries have come to Jharkhand and Jharkhand is doing well. As more and more industries come there and as industries do well, a lot of employment will be created. Once employment is created, we can bring over-ground many of those who are working in Naxal outfits and rehabilitate them by giving them employment, not only in the Government sector but also in the private sector; and we can also ensure that rehabilitation is done properly.

I have already mentioned that the roads in Jharkhand are in a very bad shape. The national road average per thousand sq. km. is 74. In the case of Jharkhand, it is only 21 kms. You can see for yourself how people of Jharkhand do not have access to roads. So, even if the farmers, the growers produce something, the middleman take their produce for a pittance. The poor farmers do not get anything. Therefore, what we need is village roads. Similarly, Sir, the National Highways in Jharkhand are in a bad shape. We have got 1844 kms. of National Highways in our State, out of which 833 kms. are only of 3-metre width; just a single road. Sir, Jharkhand is a landlocked State. It does not have a port. We need port connectivity for transporting our minerals like coal, iron ore, etc. So much of our iron ore has gone to China and elsewhere. So, we need port connectivity. People there have to take their products to Kolkata and elsewhere. So, I request the hon. Minister to pay special attention to the roads in Jharkhand, specially the one from the steel city of Jamshedpur to the coal city of Dhanbad, from Jamshedpur to Chaubasa area, from Jamshedpur, Baragoda, Kavatpur of NH-6 to take iron ore to Kolkata. These stretches are in a very bad shape and they need to be done up and widened to at least 8 metres so that the traffic can move freely and safely. There are so many stretches of roads in Jharkhand which are very important from the economy's point of view, which are very vital for Jharkhand's economy and also for the national economy. But those roads are not in good shape. The hon. Minister is not here. I would urge you to impress upon the hon. Minister for Transport to pay special attention to the National Highways in Jharkhand.

Coming to Railways, Sir, Jharkhand had to pay 65 per cent as its contribution — other States pay hardly 50 per cent — for the railway line being laid between Hazaribagh and Ranchi. Why has

a poor State like Jharkhand to contribute to the extent of 65 per cent? That should come down to 50 per cent. I would urge upon you to convey our feelings to the Government.

Coming to rural electrification, I would like to say that the work has been going on but there are still some districts which have not yet been taken up for electrification. I would urge that those districts should be taken up for rural electrification, at least, in the Eleventh Five Year Plan. Sir, I have been asked not to speak much, although the Opposition is making a lot of noises. I would only urge, through you, Sir, to the hon. Minister to convey to the Government that a special package of, at least, Rs.10,000 crores should be given to Jharkhand for human resource development and infrastructure development. Until and unless human resource development and infrastructural development takes place, we can't do anything. Naxals may be there; But Naxals will stay. In order to make the naxals to bow down, in order to help the people living below the poverty line and in order to help people who are hungry, this special package must be given to Jharkhand. Sir, you must be knowing about Hunger Index that has been conducted by IPFRI, a Washington based institution. India, as a whole, stands at 66th position out of 88 countries and Jharkhand is at the bottom. In order to see that everybody in India gets two square meals and nobody goes to bed hungry at night, I would urge the Government of India to give us special package. They can monitor it; you yourself monitor it and see that it is implemented properly so that everybody in Jharkhand gets road to go to his house, everybody gets water for irrigation and cultivation and everybody gets electricity so that he can produce not only for himself, not only for Jharkhand but also can contribute to the national granary.

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं झारखंड का तो नहीं हूं, परन्तु झारखंड के कई व्यापारिक आंदोलनों में शरीक होकर आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अभी हमारे दोनों पक्षों के विद्वान वक्ताओं ने सभी विषयों पर अपने विचार रखे, परन्तु व्यापारियों की कठिनाई और व्यापार के विषयों को दोनों ही पक्ष भूल गए हैं, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। माननीय अहलुवालिया जी और आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि झारखंड में आश्चर्यजनक काम होते हैं, झारखंड इतिहास बनाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आलू, प्याज और लहसुन के ऊपर वैट हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है। अगर यह कहीं पर लागू किया गया है, तो झारखंड में लागू किया गया है। अभी मेरी बहन बोल रही थीं कि हम वहां पर चावल दे रहे हैं। चावल पर तो 4 परसेंट वैट टैक्स लगा हुआ है। मोटे चावल पर एक रुपया प्रति किलो वैट टैक्स लागू है। यह बिहार में लागू नहीं है, पश्चिमी बंगाल में लागू नहीं है, आसाम में लागू नहीं है, दिल्ली में लागू नहीं है और वहां पर लागू है। ...(**व्यवधान**)... आप जब बोल रही थीं, तब मैंने कोई कमेंट्स नहीं किए थे। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के सामने बहुत संक्षेप में दो बातें रखना चाहता हूं। झारखंड प्रदेश में 2006 में वैट लागू किया गया। उसमें हसीम दास गुप्ता जी ने और चिदम्बरम साहब ने शैड्यूल-1 में अनाज और सब्जी को रखा है। अनाज में ये सब आते हैं, जैसे गेहूं, आटा, सूजी, मैदा, चावल, दाल, दलहन और तिलहन है। इन सबको करमुक्त की श्रेणी में रखा है और झारखंड में इनको शैड्यूल-2 के पार्ट-बी में रखकर, चार परसेंट टैक्स लागू किया। अगर यह सब जगह करमुक्त है, तो झारखंड में भी यह करमुक्त होना चाहिए। अगर सब जगह चार परसेंट टैक्स हो, तो झारखंड में भी टैक्स होना चाहिए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वहां पर आंदोलन हुए, वहां पर हड़तालें हुईं,

धरने, प्रदर्शन और रैलियां हुईं और जब रैलियां और धरने प्रदर्शन हुए, तो सरकार ने 2006 में व्यापारियों के साथ बैठकर बातचीत की तथा केवल 31 मार्च, 2006 के लिए उसको करमुक्त की श्रेणी में रखा। जब 2007 आया तो फिर आंदोलन हुआ। फिर इसे 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। जब 2008 आया, तब फिर आंदोलन हुआ और 2008 में फिर इसको बढ़ा दिया गया। अब 2009 आ गया है, अब जब यह बजट आया है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि यह फिर करमुक्त की श्रेणी में रहेगा। अभी फिर चुनावों की घोषणा हो जाएगी और चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देगा। जब चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देगा, तो जो झारखंड के राज्यपाल महोदय हैं, वे भी इसको किसी भी हालत में करमुक्त की श्रेणी में नहीं कर पाएंगे। जब झारखंड के गरीब लोगों को आलू, प्याज, लहसुन, आटा, मैदा और चावल पर 4 परसेंट वैट देना पड़ेगा, तो इससे वहां का गरीब और गरीब होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब वे यहां पर अपना उत्तर देने के लिए खड़े हों, तो वे इसमें यह सुनिश्चित कर लें कि जिस तरीके से 2006, 2007, और 2008 में इस वैट को कर मुक्त की श्रेणी में डाला गया है...। उसी तरीके से आने वाले दिनों में ---- हम तो कहते हैं कि जब पूरे देश में यह स्थायी तौर पर कर मुक्त है, तो स्थायी तौर पर कर मुक्त क्यों नहीं करते हैं? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में इसलिए कर-मुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि कर मुक्त करने के लिए व्यापारियों को निचोड़ने का काम किया जाएगा। उनसे डिमांड की जाएगी, कमिश्नर डिमांड करेगा, वहां के तमाम राजनेता डिमांड करेंगे और उनसे पैसा लेकर फिर कर मुक्त करने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन चीजों को कर मुक्त की श्रेणी में करने का आश्वासन देने की कृपा करें।

वहां के व्यापारियों के सामने दो समस्याएं और हैं। एक तो यह है कि मोटर्स पाट्र्स पर झारखंड बंगाल से लगा हुआ है। बंगाल में असीम दास गुप्ता जी ने मोटर पाट्र्स पर अपने यहां चार परसेंट रखा है और पूरे हिंदुस्तान में साढ़े बारह परसेंट रखा है। अब झारखंड चूंकि बंगाल से लगा हुआ है, इसलिए मोटर पाट्र्स के व्यापारियों को, जो वहां पर माफ़िया हैं, वे तस्करी करके माल लाकर दे रहे हैं। इससे वहां के व्यापारियों को व्यापार करने में परेशानी हो रही है। इसलिए मंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज ही वहां के व्यापारियों का टेलिफोन आया है कि आप वहां पर यह करवाइए। आप मोटर पाट्र्स पर बंगाल के बराबर कीजिए या बंगाल में साढ़े बारह परसेंट करवा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से वहां के व्यापारी आंदोलनरत हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने उन व्यापारियों का, जो वैट में रजिस्टर्ड हैं, उनका छह लाख का बीमा करवा रखा है, उसी तरीके से झारखंड के व्यापारी भी चाहते हैं कि वैट देने वाले व्यापारियों का चार-पांच लाख रुपए का बीमा हो जाए। इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है, अभी हमारी बहिन जी बोल रही थीं कि जब हम सभी के लिए काम करना चाहते हैं, तो व्यापारियों के लिए काम क्यों नहीं करना चाहते, व्यापारी ऑनरेरी टैक्स कलेक्टर है, जब आप टैक्स कलेक्टर और सारे अधिकारियों का बीमा कराते हैं तो ऑनरेरी टैक्स कलेक्टर व्यापारी का भी पांच लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। ये तीन विषय मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब अपना जवाब देंगे तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जरूर जवाब देंगे, ताकि झारखंड के व्यापारी निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकें और उन्हें आंदोलन न करना पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी, आपने बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आठ साल पहले, जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, तो उसका उद्देश्य था कि इसका त्वरित विकास किया जाए। यह तब पिछड़ा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि झारखंड को मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमाम सारे मिनरल्स झारखंड

में हैं। पिछले आठ साल का इतिहास बताता है कि यहां पर स्थिरता की जगह पर अस्थिरता आई है। झारखंड में सातवीं सरकार, शायद राज्यपाल को भी गिन लें, अभी आठवें की तैयारी हो जाएगी, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक कलंक जैसा है। उपसभाध्यक्ष जी, हम पहले देख चुके हैं कि सबसे अस्थिर गोवा रहा है, झारखंड ने इस अस्थिरता में दौरा हासिल कर लिया है, जबकि हिंदुस्तान का चालीस परसेंट मिनरल्स झारखंड में है। इसमें कोकीन कोल तो झारखंड को छोड़कर और कहीं नहीं होता है। यूरेनियम, पाइराइट्स आदि भी हैं, इनका टोटल प्रॉडक्शन सिर्फ झारखंड में होता है, इसके बाद बाकी मिनरल्स हैं। टोटल मिनरल्स में 54 परसेंट का प्रॉडक्शन आता है, उसमें आयरन ओर भी मुख्य भूमिका निभाता है। ये लोग साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए रॉयल्टी की बाबत देते हैं। कितनी चोरी है, इसको छोड़ दीजिए, परंतु इन पेपर्स पर ये साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए देते हैं। यह मिनरल्स की रॉयल्टी के बारे में है। और भी minerals हैं, precious minerals हैं, जिनमें यूरेनियम जैसे minerals भी हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी असुविधा यह है कि यहाँ illiteracy बहुत ज्यादा है। यहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। इनके भोलेपन का फायदा उठा कर, वहाँ unemployment का problem है, उनकी illiteracy का फायदा उठाया जाता है और दोनों हाथों से इनका दोहन किया जा रहा है। सिर्फ ठेकेदार के माध्यम से ही नहीं, बिचौलियों के माध्यम से ही नहीं, वहाँ राजनीतिक खेल भी खुलेआम खेला जा रहा है। वहाँ के आदिवासी कभी इस पग में, कभी उस पग में बजता ही रहा घुँघरू की तरह, कभी इधर से पिटता है, कभी उधर से पिटता है। आते-जाते सारे लोग उनका दोहन कर रहे हैं।

महोदय, मैं जानता हूँ कि Proclamation issued by the President, Appropriation and Vote on Account for Jharkhand for authorization and appropriation from Consolidated Fund of India पास हो जाएगा। लेकिन मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि झारखण्ड के दुख पर मरहम कौन लगाएगा? यद्यपि वे हिन्दुस्तान के लिए, उनकी जो अपनी धरती है, प्रकृति ने उनको जो सौंपा है, वे पूरे देश के लिए दे रहे हैं और पूरा देश मिल कर उनका दोहन कर रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सर, National Rural Employment Guarantee Scheme कौन लागू करेगा? वहाँ पंचायत नहीं है, वहाँ illiterate जनता है, वे employment के लिए अपना एक application भी नहीं दे सकते। उनकी सुनेगा कौन? ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड में बिचौलिए लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए अगर unemployment के problem को solve करना है, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पंचायत की व्यवस्था अविलम्ब करे। सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर उनकी सुनवाई होनी है, तो जल्दी कराइए। वहाँ वर्षों से पंचायत ही नहीं है। उनकी local self-government नहीं है, जहाँ वे अपनी बात को कह सकें। इसलिए इसका middlemen फायदा उठा कर, अगर किसी के पास job card है, तो वे ले लेते हैं और contract के माध्यम से काम करवाते हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। वहाँ के लोग पड़ोसी राज्य, जैसे पश्चिमी बंगाल वगैरह में, मैं आपको एक दुखद घटना बताऊँगा, जहाँ illegal mining होती है, यहाँ के आदिवासी लोग वहाँ जाकर illegal mining में काम करते हैं। अगर accident होता है, तो उनकी औरतें रोती भी नहीं हैं कि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाएगी कि वह illegal mining में काम कर रहा था। उनका शौहर मर गया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, वे आँख के सामने देख रही हैं कि वह निकलेगा नहीं, उनकी dead body भी नहीं निकलेगी और वे रोती भी नहीं हैं, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाएगी कि वह illegal mining में काम करता था। वहाँ के लोग कितनी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में काम कर रहे हैं। इससे उनको निजात कैसे मिलेगी? इसलिए वहाँ पर स्थाई सरकार होनी चाहिए, उनकी local self-government होनी चाहिए, क्योंकि यह पंचायत के माध्यम से हो सकता है कि वे काम कर सकें। नहीं तो, ये 73 रुपए, 120 रुपए तो उनके लिए एक सपना है। हमारे देश के लोगों का 9 रुपए से 20 रुपए की आमदनी का सवाल है, वह भी उनके यहाँ बहुत से लोगों

को नहीं होती है। इसलिए उनको जो दूसरी सुविधा मिलने की बात है, वह नहीं मिल पाती है और सरकार की तरफ से development के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वहाँ पर implement नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए National Rural Employment Guarantee Scheme या Swarn Jayanti Swarozgar Yojana या Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana आदि को वहाँ पर effective ढंग से लागू किया जाए। यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि वहाँ पर पंचायत का formation अविलम्ब कर दिया जाए। सर, शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग वहां पर हैं। वहां अशिक्षितों की संख्या 52% है और ये लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते हैं। अशिक्षित औरतों की संख्या तो और भी ज्यादा, 64% है। इस तरह शिक्षित औरतों की संख्या मात्र 36% है। मैं अभी सुन रहा था कि वहां पर जो व्यक्ति ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर रोज़गार लेने वालों की संख्या मात्र 100 या 200 ही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग वहां ग्रेजुएट हो पा रहे हैं।

वहां पर स्कूलों की अवस्था बहुत ही खराब है। सरकारी आंकड़े के अनुसार वहां करीब 5 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखते हैं, फिर मिड डे मील की क्या व्यवस्था क्या हो सकती है? जो बच्चे स्कूल का मुंह तक भी नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था कर पा रही है? हायर एजुकेशन की बात तो छोड़ दीजिए, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है, स्कूल तक नहीं हैं, इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इन आठ सालों के दौरान वहां की अवस्था और भी बदतर हो गई है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया जाना चाहिए, वहां उसमें मजबूती नहीं आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अवश्य ही सरकार का ध्यान इस तरफ जाए।

सर, हेल्थ की बात तो मैं क्या करूं, वहां के पानी में फ्लोराइड है। कहते हैं कि झारखंड में बरसात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नदी के पानी को रोकने के लिए और बांध बनाकर उसकी व्यवस्था करने के लिए अभी तक वहां कोई भी स्कीम नहीं आ रही है। पानी में फ्लोराइड होने के कारण वहां काफी लोग बीमारी से संत्रस्त हैं। पीने के लिए उनको शुद्ध जल तक नहीं मिलता है। हम सुनते हैं कि कभी किसी जमाने में राजा-महाराजा लोग गर्मी के दिनों में मधेपुरा के इलाके में आनन्द लेने के लिए जाते थे, लेकिन आज अवस्था अत्यंत बदतर हो गई है। वहां पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता है और कहने को तमाम नदियां वहां जाती है। इस समस्या का एक कारण और भी है, वह यह है कि उनका पानी और भी गहराई में जाता चला जा रहा है। वहां ऊपर सरफेस पर पानी नहीं मिल पाता है, इसका कारण यह है कि वहां पर जब माइनिंग करते हैं तो उसका जो स्ट्राटा है, उसे पंक्चर किया जाता है, जिससे पानी का diversion दूसरी तरफ हो जाता है, इसलिए वहां पर नैचुरल पानी की अवस्था अत्यंत खराब होती जा रही है और भविष्य में तो इसके और भी अधिक खराब होने की संभावना है। लेकिन सरकार का ध्यान बरसात के पानी को रोकने, नदी पर डैम बनाने एवं पानी के रखरखाव की व्यवस्था करने की तरफ नहीं जा रहा है, जो बहुत जरूरी है। वहां के पानी में फ्लोराइड होने के कारण कुपोषण काफी रहता है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ती हैं।

सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। वहां पर गरीबी का आलम यह है कि वहां एक चकोट नाम का पौधा पाया जाता है, जिसे जानवर तक भी नहीं खाते हैं, लेकिन आदिवासी लोग उसी को उबाल कर खाते हैं, जिससे बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां गरीबी का क्या आलम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सबसे पहले वहां पीने के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सर, बी.पी.एल. फैमिलीज़ के बारे में कहा गया है कि वहां करीब 25 लाख ...(**टाइम बैल**)... सर, बस दो मिनट और लूंगा। सर, सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि वहां पर 25 लाख लोग ऐसे हैं, जो गरीबी की सीमा

रेखा के नीचे हैं। उनको तो रोजगार प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके ऊपर वाले भी जो लोग हैं, वे भी उसी लिस्ट में आते हैं, वह अलग बात है कि भले ही उनके घर ईंट के बने हों या उनके घर में एक टेलिविज़न भी रखा हो। बाकी लोगों के रोज़गार की भी यही हालत है कि वे 20 रुपया रोज़ भी नहीं कमाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि खाने में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को और अधिक इम्प्रूव किया जाए और वहां इसकी उचित व्यवस्था की जाए।

राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह बात झारखंड के बारे में सोलह आने सच है। इसके बारे में आपको देखना चाहिए।

सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। झारखंड में करीब 35,000 गांव हैं, जिनमें से केवल 8500 गांवों को ही रोड कनेक्टिविटी मिली हुई है, बाकी गांवों में जाने के रास्ते तक नहीं बने हुए हैं। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो अथवा कोई और योजना, वहां पर प्रत्येक गांव के लिए सड़कों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

सर, वहां करीब 55% गांव ऐसे हैं, जहां से विद्युत के तार गुजरे तक भी नहीं हैं। 45% गांव ऐसे हैं, जहां विद्युत के तार तो गुजरे हैं, लेकिन इनमें से बहुत से गांवों में इन तारों में विद्युत ही नहीं है। बहुत से गांवों में तो यह हालत है, कल ठीक ही कहा जा रहा था कि वहां पर जो तार थे, जिनको इनकी जरूरत हुई, वे उसे अपने रोजगार के लिए, काम के लिए लेकर चले गए। इसलिए इन गांवों को राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत जोड़ने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषि के बारे में मैं बस एक लाइन कहूँगा। झारखंड में जियोलॉजिकल एरिया 80 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से खेती के लायक जमीन मात्र 8 परसेंट ही है। उसको वर्ष-भर पानी नहीं मिलता है, जबकि झारखंड के ऊपर से नदियाँ बह रही हैं। अगर इसके लिए एक व्यवस्था कर दी जाए, तो ये लोग कमाने-खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए इरिगेटेड लैंड का एरिया बढ़ाया जाए, इस तरह की एक व्यवस्था की जाए।

सर, अब मैं आखिरी बात यह कहना चाहूँगा कि वहाँ की जनता के साथ— अगर यह अनपार्लियामेंटरी होगा तो मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि एक कीड़ा होता है —गोबरौला0964 वह गोबर का कीड़ा होता है। वह गोबर की गोली बनाकर लिए चलता है, तो दूसरे कीड़े उसका पैर पकड़ कर खींच देते हैं। वे उसे ले जाने में उसकी मदद नहीं करते हैं, बल्कि उसके पैर पकड़ कर खींचते हैं। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए इस बात को इसमें बंद किया जाए। सर, अब मैं अपने कन्क्लूज़न में कह रहा हूँ कि इस mineral state को और rich बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर अविलम्ब चुनाव कराया जाए। ...(समय की घंटी)... वहाँ लोक सभा के साथ ही विधान सभा का भी चुनाव करवाया जाए तथा पंचायत का भी चुनाव करवाया जाए, जिससे वहाँ की जनता अपना भाग्य-निर्धारण कर सके। धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, हमारे पास कोई आंकड़ा-वगैरह नहीं है। मैं बिना आँकड़े के ही खड़ा हूँ। आज से करीब 50 साल पहले हजारीबाग में मेरा बचपन गुजरा है। ...(**व्यवधान**)... इसे थोड़ा-सा वक्त तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हजारीबाग में हमने थोड़े समय पढ़ाई-लिखाई की है। हमारे परिवार के भी कुछ लोग राँची में रहे, इसलिए हमें अनुभव है कि वहाँ की गरीबी क्या है और हम यह भी जानते हैं कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं।

महोदय, जब हम समाजवादी आंदोलन में थे, तो आदरणीय स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें कहा था कि आप कुंडु में जाकर एक महीना काम करेंगे। टाटा और रांची के बीच में कुंडु नामक एक जगह है। मैंने वहाँ जाकर एक महीना काम किया। जब मैं काम करके वापस आया तो मुझको jaundice हो गया तथा मैं बीमार पड़ गया। इसका

कारण यह था कि वहाँ का पानी भी गड़बड़ और वहाँ का खाना भी गड़बड़। सर, वहाँ पर गरीबी की हालत यह है कि वहाँ पर लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। वहाँ खाना कम मिलता था और लोग जो हंड़िया बनाते थे, चावल का जो घोल बनाते थे, वह ज्यादा पीते थे। इससे अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। सर, वह कमाल का राज्य है। ...(**व्यवधान**)... इस राज्य को बनाने के लिए 8 साल पहले वहाँ बहुत आन्दोलन हुआ। हमारे आदरणीय बुजुर्ग साथी की छत्रछाया में, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के यशवंत सिन्हा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे —। am sorry, I am taking the name of the person because he has said something. सर, मुझको ऐसा लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहने वाले आदमी के दिमाग में कुछ समाजवादी विचार जरूर आएगा। उनकी बातचीत से मैं पहले भी प्रभावित रहता था, जब वह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। दिक्कत यह हो गई कि जब वह कलेक्टर थे तो जब हम लोगों ने 1965-66 में आंदोलन किया, तो उन्होंने हम लोगों पर बहुत लाठियाँ चलवाईं, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से उन पर ही लाठी चल गई। जब लाठी उन पर चली तो वहाँ के गवर्नर साहब बेचारे झंझट में पड़ गए। गवर्नर साहब के बारे में जितनी बातें इन्होंने कही हैं, हमको लगता है कि हिंदुस्तान के किसी आदमी ने इतनी बात, जो एक संवैधानिक पोस्ट हो, उसके खिलाफ नहीं कही होंगी। इस बारे में सदन में इतनी बात, इतनी चर्चा होने की जरूरत नहीं थी। यह गवर्नर की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट है। आप लोगों ने भी गवर्नर्स एपायंट किए होंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नर कहीं आसमान से आए हों। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट आप सुन लीजिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा याद कीजिए। इतिहास गवाह है कि जब राम लाल जी ने एन.टी. रामाराव की सरकार को हैदराबाद में ध्वस्त कर दिया था, तो इन्हीं दोनों सदनों में क्या बहस हुई थी? ...(**व्यवधान**)... रमेश भंडारी जी पर यहां कितनी चर्चा हुई थी? यह सब आप बात मत करिए। ...(**व्यवधान**)... मैं जहां भी था, उसी की मैंने वकालत की। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष: (**प्रो. पी.जे. कुरियन**): अहलुवालिया जी, प्लीज आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... राजनीति प्रसाद जी, आप बोलिए।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सर, जब मैम्बर ने बात उठाई है, जो उन्हें पता नहीं, तो बताना होगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, you have made your point. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनीति प्रसाद : Sir, I want the ruling. ...*(Interruptions)*... सर, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**प्रो. पी.जे. कुरियन**): नहीं, नहीं। आप बोलिए।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, जब आप डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: जब आपको पता नहीं है, तो उस पर बोले क्यों? ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद: पता नहीं है, तो जाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... फिर सीख लेंगे आपसे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You address the Chair. ...*(Interruptions)*... Please, address the Chair. ...*(Interruptions)*... प्लीज, अहलुवालिया जी।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। ...(**व्यवधान**)... मेरी यह आदत है, जब मैं कोर्ट में भी बहस करता हूँ, अगर कोई टोक देता है, तो मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि बोलने का मौका मुझे कम मिलता है।

सर, मैं कह रहा था कि तब से दिक्कत ज्यादा हो गई, जब यशवंत सिन्हा जी को लाठी लग गई। हम लोगों ने भी देखा, दुर्भाग्य की बात है, लाठी नहीं लगनी चाहिए थी और कम से कम गवर्नर के यहां तो नहीं ही लगनी चाहिए थी। कहीं और लाठी लगती, तो कोई बात नहीं थी। अब यह मुसीबत हो गई और आपको झारखंड के बजट पर बोलना था, मगर गवर्नर पर ही आप बोल गए और गवर्नर पर ऐसा बोले, इतना ज्यादा बोले कि हमने भी कह दिया कि अच्छा हुआ, कभी-कभी हमको नींद आ जाती थी, लेकिन आज तो आपके भाषण के बाद नींद ही नहीं आई। आप इतना कुछ बोल गए, हमको लगा कि आपको इतना ज्यादा आपको इसलिए नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप भी स्वयं एक संवैधानिक पोस्ट पर रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आप फाइनेन्स मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन आपने यहां इतना ज्यादा बोल दिया। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि गवर्नर को हटाइए, वरना सिसकते हुए आएंगे। यह आपने कमाल की बात बोल दी। आपको तो बजट पर बोलना था, जो 52 आइटम लिखे हुए हैं, उन पर आपको बोलना था, लेकिन आपने तो बोल दिया कि सिसकते हुए आएंगे, यानी पीछे से वे मारेंगे, मारते हुए आएंगे और यहां रोते हुए गवर्नर साहब आएंगे। सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, कि क्या यह संसदीय भाषा है? किसी गवर्नर के बारे में क्या आप इस तरह की बात बोलना चाहेंगे? अगर आप इस तरह बोलेंगे, तो क्या यह कोई संसदीय भाषा है? ...(**व्यवधान**)... मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि क्या यह संसदीय भाषा है, सिसकते हुए आएंगे? मैं यशवंत सिन्हा जी को कहना चाहता हूँ कि उनकी पीड़ा यह है कि न्यूक्लियर डील में हम लोग जीत गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): बिहार हार गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, जब न्यूक्लियर डील में हम जीत गए। ...(**व्यवधान**)... सर, आप टाइम मत देखिए, हमारा टाइम तो उधर जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, यह प्रिजुडिस होकर बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना भाषण शुरूआत करने से पहले ही बोला कि यशवंत सिन्हा जी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इनको लाठी से पिटवाया था। इसीलिए prejudice होकर यह उनके खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या बात है!...(व्यवधान)... आप आज की सूची पढ़ लीजिए कि उसमें क्या है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIEN): Mr. Rajniti Prasad, you might have to conclude. Rajniti Prasad, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनीति प्रसाद: ये हमको बोलने नहीं दिये और आप conclude करने के लिए कह रहे हैं! ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): हाँ, बोलिये। दो मिनट भी आप ले लीजिए।...(व्यवधान)

श्री राजनीति प्रसाद: सर, न्यूक्लियर डील जब सफल हो गया और हम लोग उसमें जीत गए तब उनके दिमाग में आया कि राँची में जादुगोड़ा एक जगह है, वहाँ न्यूक्लियर ओर्स ज्यादा होते हैं। अरे वाह! जब वहाँ न्यूक्लियर ओर्स ज्यादा होते हैं तो आपने पहले न्यूक्लियर डील करके इस पावर को क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं बनाया? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please address the Chair and try to conclude. Don't provoke them. Please address the Chair. You talk about the Budget. Don't provoke them. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJNITI PRASAD: Sir, I am talking about the Budget. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, you please speak about the Budget. Don't provoke them. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJNITI PRASAD: Sir, you are saying this to me. But Shri Yashwant Sinha has not said any word about the Budget. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. He was speaking on his Motion.

SHRI RAJNITI PRASAD: I am saying about the Budget.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Yashwant Sinha being the mover of the Motion of Disapproval of the Resolution, he has every right to speak on that. But you please speak on the Budget. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं यह कह रहा था कि हमारे यहाँ बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब यहाँ एन0डी0ए0 की सरकार थी। हम लोग लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, सब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उस समय वहाँ आपके ही गवर्नर थे। लाठी चलाकर हम लोगों को मारा। हमने संसद में आकर अपने घाव नहीं दिखाये। यह तो चलता है। सर, राँची में एक 'दिक्कू' नाम की चीज़ होती है। दिक्कू का मतलब समझते हैं आप, मेरे ख़याल से आप समळाते होंगे। दिक्कू का मतलब होता है, जो बाहर के लोग जाते हैं यानि राँची आदिवासी इलाके के अलावा जो लोग जाते हैं, उनको दिक्कू कहते हैं। दिक्कू का मतलब है कि वही शहंशाह होता है, वही कर्ज देता है, वही महाजन होता है।...(व्यवधान)... अब अहलुवालिया जी दिक्कू हैं कि नहीं, यह हमको पता नहीं है। (**समय की घंटी**)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only two more minutes.

श्री राजनीति प्रसाद: अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRI S.S.AHLUWALIA: Sir, he concluded and you are again allowing him to speak. What is this?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let him conclude. Mr. Rajniti Prasad, are you concluding?

श्री राजनीति प्रसाद: मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is supporting the Jharkhand Budget. You should appreciate that.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Whether he is supporting the dissolution of the Assembly or not? That is the point.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Sir, You have given me an opportunity to say a few words on the Jharkhand Budget and the Appropriation Bills. I rise to speak particularly as I share the worries and the concern of many of my hon. Members, here, about Jharkhand. The main reason for these worries and the concern about Jharkhand is that the democratic process in the State is seriously disturbed; the Assembly is under suspension; there is President's rule in the State. Moreover, the Panchayat elections could not be held there for a pretty long time. But, in the midst of these things, I feel that there is a lot of political instability in the State; both UPA and NDA are equally responsible for that. But, at the same time, being the citizens of the largest democracy

in the world, we are amused to hear from one of my learned colleagues that many, many good works, development works are being done under the President's rule. Just on the eve of these Lok Sabha elections, we feel that it is the urgent necessity to establish a democratic process in the country; not to put the country or any particular State for a long time under President' rule. Sir, I do feel that Jharkhand is one such State which is very rich in its mineral resources; it has a very rich tribal population; it is one of the few States which has started its life very recently. Taking all these things into consideration, it is also a fact that keeping in view the developments in Jharkhand, which is so rich in its mineral resources, beginning from coal to uranium, proper justice has not been done to the State. It requires a lot of immediate development, and for this development, we do feel that it is the urgent necessity to dissolve the Assembly and hold elections there, not only the Assembly elections but also the Panchayat elections. Along with Lok Sabha elections, the Assembly elections could be held. And even the longpending Panchayat elections should be held there so that the voices of the people and the aspirations of the people are reflected through the democratic process.

Sir, one thing we have just noticed is that the President's rule will be there; along with that, the Assembly will be kept under suspension; the political horse-trading will be encouraged there. So, Sir, it is not a very healthy sign for a democratic State. It would be better if the Assembly is dissolved and the elections are held there immediately. And it is a matter of concern that many of the development works are hampered there. So, the state of poverty, illiteracy and unemployment is so acute there that we want that a true people's representative Government be established there through the democratic process, by holding elections in the State immediately. That is my submission.

Also, we should take into account that it is one such State where the tribal population is very high; perhaps, more than 40 per cent of SC/ST population is there. So, special attention should be given to the State, particularly for its development works, which are being hampered for a pretty long time. At the same time, there is one point, which has already been made by some of my friends here, that some disturbing elements, some terrorist elements are there, and the neighbouring State, West Bengal, is being disturbed very often by these disturbing forces. From Jharkhand, they are entering the neighbouring West Bengal State. They are trying to create a state of imbalance in West Bengal. So proper care and steps should be taken to stop it as nothing has been done so far. I would like to say that so long as fresh election is not being held and it is under President's rule, particularly the Governor and other responsible persons must look into this and they should not let this type of disturbing elements very often enter illegally into the neighbouring States, particularly, West Bengal, and disturb the political stability there.

Lastly, before I conclude, I would like to say that along with development works in the fields of health and education, and raising their livelihood, there is one more aspect to which they have to pay attention. A lot of Bengali-speaking people are traditionally living in Jharkhand. In the ancient

time, there was a very close relationship between this area and greater Bengal. So, proper steps should be taken for the development of the Bengali language and their culture. Till fresh election is being held there, I would appeal to the Governor to see to it that proper steps are being taken for the improvement and advancement of the Bengali language. I am saying this not because that I am a Bengali-speaking man, but because a lot of Bengali-speaking people are traditionally living there. So, further attention should be paid to this.

Before I conclude, obviously I would like to repeat what I have said that the Assembly should be dissolved immediately and let there be fresh elections. It should be considered whether elections can be held there along with Lok Sabha elections which are going to be held throughout the country very soon. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं झारखंडवासी हूं। अभी राजनीति प्रसाद जी कह रहे थे कि झारखंड में रहने वाले आदिवासी भाई हमको "दिक्कू" कहते हैं और मैडम रिबैलो जी, हमारे साथ वह भी "दिक्कू" हैं। मुझे अपने को "दिक्कू" कहने में कहीं कोई एतराज़ नहीं है। हम झारखंडवासी हैं, इसी पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारा राज्य छोटा है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन इस राजनीतिक माहौल में यहां 8 सालों में 7 मुख्य मंत्री बदल गए, लेकिन अभी तक अस्थिरता बनी हुई है। जब तक यहां का राजनीतिक माहौल स्थिर नहीं होगा, तब तक इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति यहां बनी हुई है। अभी हमारी केन्द्र सरकार ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ माफ किया है, लेकिन मुझे बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष में एकमात्र ग्रेन बैंक देवघर झारखंड में यहां है, वह किसानों को धान कर्ज़ देता है और सूद के रूप में धान ही लेता है, वह बहुत छोटा बैंक है। इस सरकार ने जो किसानों के कर्ज़ की माफी की घोषणा की, उसमें इन 17 हजार किसानों का मात्र 2 करोड़, 16 लाख रुपए का कर्ज़ माफ नहीं हुआ। अगर यह 2 करोड़, 16 लाख रुपए का कर्ज़ माफ कर दिया जाए, तो जो 17,000 छोटे सीमांत किसान हैं, वे कर्ज़मुक्त हो जाएंगे। मैं इस हाउस के माध्यम से अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि 2 करोड़, 16 लाख रुपए का कर्ज़ माफ करने से आप 17,000 किसानों का यश प्राप्त करेंगे। यह बात मैंने कल वित्त मंत्री जी को लिखकर भी दी है। दूसरी बात है — राजीव गांधी विद्युत योजना। अभी मैडम बोल रही थी कि वहां जो लाइन खींची जा रही है, वह तीन फेज की लाइन है। वहां लोग बिजली से सिंचाई कर पाएंगे, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि वहां राजीव गांधी मिशन योजना के तहत तीन फेज की लाइन नहीं दी जाती है, बल्कि single phase की लाइन दी जाती है। मैं देवघर जिले से आता हूँ, वहां single phase की लाइन दी जाती है। उसमें एक पंचायत, एक revenue village में एक किलोमीटर का लिमिट होता है। कहा जाता है कि इस revenue village में एक किलोमीटर के लिए लाइन sanction हुई है, इसलिए हम एक किलोमीटर में ही लाइन देंगे। अगर revenue village चार किलोमीटर के दायरे में है, तो एक किलोमीटर में ही तार बिछाते हैं और बाद बाकी तीन किलोमीटर के सैकड़ों टोले और गांवों के ग्रामीणों को विद्युत नहीं देते हैं। मैं इसका प्रमाण दूंगा। यह कोई गलत बात नहीं है। मैंने इस संबंध में विद्युत मंत्री जी को लिखकर दिया है। इस योजना का लाभ समूचे ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, झारखंड में 24 जिले हैं। उन 24 जिलों में मात्र 30 स्थानों पर धान क्रय केन्द्र खोला गया है, यानी समूचे झारखंड में 30 जगह धान क्रय केन्द्र खोला गया है। मैं जिस प्रखंड से आता हूँ, वहां एक जगह धान क्रय केन्द्र है। जब सरकार ने घोषणा की कि धान क्रय केन्द्र पर नौ सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा

जाएगा, तब क्रय केन्द्र पर धान बेचने के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन किसान अपना धान वहां नहीं बेच पाते हैं। मैंने एफ.सी.आई. से contact किया और कहा कि पैक्स के माध्यम से धान खरीदेंगे और इसके लिए एक प्रखंड में 10-12 केन्द्र खोलेंगे, तभी किसान अपना धान उचित मूल्य यानी नौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेच पाएंगे। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार की यह योजना कहने के लिए है, कागज पर है, पर इस पर अमल नहीं होता है। मैं इस हाउस के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे सुधारेंगे? आप इसके अमल में सुधार कीजिए।

महोदय, झारखंड राज्य बने अभी आठ साल बीते हैं, लेकिन इन आठ सालों में वहां छह मुख्यमंत्री बदल गए। वहां की सरकार अस्थिर है। वहां छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हम झारखंडवासियों की मांग है कि सरकार इस लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां की विधान सभा चुनाव भी कराए, ताकि वहां हमको स्थिर सरकार मिल सके और राज्य का समुचित विकास हो सके। जब संयुक्त बिहार था, तब वहां के लिए सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं, डैम और बराज, sanction की गईं थी और वे बंधी भी थीं, लेकिन उन्हें पूर्ण नहीं किया जा सका। हम यह मांग करते हैं कि चूंकि यह एक छोटा राज्य है और वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जिस कारण से ये सारी योजनाएं बाधित हैं। वहां हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां वर्षा होती है, तो धान की फसल होती है, वर्षा नहीं होती है, तो फसल नहीं होती है। वहां की मुख्य फसल धान ही है। वहां लोग उतना ही गेहूं उपजाते हैं, जितना कि उनको आवश्यकता होती है। अगर वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए, तो हम समळाते हैं कि जो वहां लाखों- लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, उन सारे जमीन पर खेती होगी। जो बड़ी-बड़ी योजनाएं ली गईं हैं और जो अधूरे पड़े हुए हैं, केन्द्र सरकार उनका वित्त पोषण करे। उन सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करे यह मेरा इस हाउस से कहना है।

महोदय, अभी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे एक सौ दिन सब हाथों को काम देना है, इस फंड से क्रॉस बांध काफी संख्या में लिया गया है। जोड़ पर क्रॉस बांध बांधा गया। मैं इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड में हजारों-हजार क्रॉस बांध बने, पर एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है, आप सी.बी.आई. inquiry करवा लीजिए, कि झारखंड में किसी भी क्रॉस बांध से जमीन की सिंचाई होती हो। सिर्फ ठेकेदारी के purpose से क्रॉस बांध बनाया गया। जब क्रॉस बांध बनेगा और उसमें पानी रुकेगा, तब न उससे सिंचाई होगी और जमीन के नीचे पानी का लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पाता है। वैसा नहीं हो पाता है। सिंचाई की योजना से नहीं बल्कि ठेकेदारी के purpose से क्रास बांध बनते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। वहां पर जितने दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया है, उसके बाद संसद के चुनाव के साथ ही विधान सभा का चुनाव कराया जाए, यही हमारी इस सदन से मांग है। सर, आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया था अतः अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 शकील अहमद): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यहां तीन मुख्य बातों पर चर्चा की गयी। एक तो जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो proclamation किया गया, उसका जो वैधानिक resolution है, उस पर चर्चा हो रही है। उसके साथ-साथ हमारी माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा एक मोशन उपस्थित किया गया कि झारखंड की विधान सभा को revoke किया जाए, उस पर चर्चा हो रही है जिसे कल माननीय यशवंत सिन्हा जी ने मूव किया था। इसके अतिरिक्त जो झारखंड का अंतरिम बजट है, उस पर आज चर्चा हो रही है। इस चर्चा में 9 सदस्यों ने भाग लिया। श्री एस.एस. अहलुवालिया जी, श्री प्रशांत चटर्जी, सुश्री मैबल रिबैलो, श्री बनवारी लाल कंछल, श्री आर.सी. सिंह, श्री राजनीति प्रसाद डा0 वरुण मुखर्जी और श्री जय प्रकाश नारायण सिंह जी ने इसमें भाग लिया। उपसभाध्यक्ष

महोदय, 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन जी ने झारखंड के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी और संविधान की मान्यताओं के अनुसार उन्हें 6 महीने के अंदर अर्थात 26 फरवरी 2009 तक विधान सभा की सदस्यता हासिल करनी थी। इसलिए 5 जनवरी 2009 को तमार क्षेत्र से, जो रांची जिले में है, उसके bye election में वे खड़े हुए लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। वे विधान सभा का चुनाव नहीं जीत पाए। 8 जनवरी को उसका रिज़ल्ट आया और शिबू सोरेन जी श्री गोपाल कृष्ण पटार, जो झारखंड पार्टी के हैं, से चुनाव हार गए। इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद 12 जनवरी 2009 को उन्होंने अपना त्याग पत्र झारखंड के राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया लेकिन जो परम्पराएं हैं, उनके अनुसार उनसे आग्रह किया कि अगली व्यवस्था होने तक वे अपने पद पर बने रहें। इस बीच झारखंड के राज्यपाल ने वहां के जो विभिन्न राजनैतिक दल हैं, जो विभिन्न राजनैतिक दलों के नेतागण हैं, जो विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की, उनसे विचार-विमर्श किया और यह प्रयास किया कि एक alternative सरकार बन जाए और राज्य में जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता का काम होता रहे। लेकिन 6-7 दिन प्रयास करने के बाद भी कोई ग्रुप या कोई राजनैतिक दल अकेला तैयार नहीं हुआ कि हम वहां सरकार बनाएंगे और किसी ने यह क्लेम नहीं किया। उसके बाद 16 जनवरी, 2009 को राज्यपाल जी ने अपनी अनुशंसा भारत सरकार के पास भेजी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की और असेंबली को suspended animation में रखने का आग्रह किया और उसके पश्चात 19 जनवरी, 2009 को केबिनेट ने और सरकार ने अपनी बैठक में उनके प्रस्ताव को सहमति दी और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में प्रावधान है कि जनतंत्र व्यवस्था ही सबसे अच्छी है और इसीलिए हमारे जो जनतांत्रिक मूल्य है, वे बचे रहें, उसके लिए राज्यपाल जी ने जो उनके पास 4-5 दिनों का समय था, उसमें उन्होंने अपने जानते हुए पूरी कोशिश की। एक प्रश्न कभी उठता है और हमारे एक-दो माननीय सदस्यों ने वह सवाल उठाया है कि असेंबली को suspended animation में क्यों रखा गया, इसे सीधे डिजोल्व्ड क्यों नहीं किया गया। तो उस स्थिति में S.R. Bommai के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निदेश है कि पहले असेंबली को suspended animation में रखा जाएगा और जब प्रोकल्मेशन को दोनों हाउसेज से सहमति मिल जाएगी तभी आगे की कार्यवाही की जाएगी तथा डिजोल्यूशन की फाइनल व्यवस्था होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए....(व्यवधान)... जो संविधान के प्रावधान हैं, मैं वह बतला रहा हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए असेंबली को अभी suspended animation में रखा गया है। इस प्रस्ताव के यहां पास होने के बाद सरकार ने माननीय सदस्यों की राय भी सुनी है, The Government is seized of the matter और उसके बाद गवर्नमेंट अपने विवेक से एक फैसला करेगी। हम भी इस बात पर सहमत हैं और सरकार भी इस बात पर सहमत है कि जनतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है और जल्द से जल्द वहां जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, इसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। दो-तीन बातें इस चर्चा के संदर्भ में आई हैं। यशवंत सिन्हा जी ने एक मोशन पर भी, हम लोग चूंकि साथ बोल रहे हैं, मोशन पर और रिजोल्यूशन पर मैं मुख्य रूप से बात करुंगा। बजट पर हमारे साथी माननीय वित्त राज्य मंत्री बंसल साहब अपनी बात कहेंगे।

इसमें एक-दो बातें आईं। अहलुवालिया साहब और यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि झारखंड राज्य एन0डी0ए0 सरकार ने क्रिएट किया था। यह बात बिल्कुल एकपक्षीय नहीं होनी चाहिए। यह बात सही है कि उस समय केन्द्र में एन0डी0ए0 सरकार थी। लेकिन झारखंड बनने के लिए विधान सभा से प्रस्ताव आना जरूरी था, जो नहीं आया था। उपसभाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर लोग भूल जाते हैं तथा मैं सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो यू0पी0ए0 में लोग हैं, इन्ही लोगों की सरकार बिहार में थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और हमारे दूसरे सहयोगी दल के लोग थे। हमने विधान सभा से प्रस्ताव पास किया, क्योंकि झारखंड के आंदोलन

में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और विभिन्न दलों के लोग, कांग्रेस के लोग बहुत दिनों से थे तथा वहां के लोगों की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी कि हमारा अलग राज्य बने। फिर हमने प्रस्ताव पास किया और सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं किया, हमने कुरबानी दी। उस समय बिहार और झारखंड मिलाजुला था और उस समय बिहार में सभी के सभी के कांग्रेस के एम0एल0ए0 मंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी मंत्री थे और यह बात सब को मालूम थी कि झारखंड का जो हिस्सा बंटकर जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या अधिक है, अगर यह उस समय बंट जाता है तो कांग्रेस, आर0जे0डी0 और जो दूसरे धर्मनिर्पेक्ष दल हैं, इनके विधायक मंत्री नहीं रहेंगे तथा झारखंड में जो भाजपा के विधायक रहे थे, वे मुख्य मंत्री और मंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिर भी यह जानने के बाद बिहार के हमारे कांग्रेस के लोग झारखंड की तरफ गए तथा यह मानते हुए कि हम त्याग दे रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के तहत हम त्याग करके झारखंड बना रहे हैं। यह सच्चाई है, यह इतिहास है, इसको आप बदल नहीं सकते। हमारे 12 सदस्य थे, शायद नम्बर एकाध आगे-पीछे हो सकता है, 12 कांग्रेस के मंत्रियों ने झारखंड के लिए त्याग किया। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस मंत्रालय की बात मैं कह रहा हूं, संयोग से मैं भी उसमें मंत्री था। मेरा घर बिहार की तरफ था, इसलिए मैं मंत्री रह गया। मेरी पार्टी के 12 साथियों ने तथा आर.जे.डी. के सदस्यों ने, इन सब लोगों ने रिजाइन किया। इस समय मुझे एक अन्नपूर्णा देवी जी का ही नाम याद आ रहा है । कांग्रेस पार्टी और आर.जे.डी. पार्टी ने त्याग कर के झारखंड का निर्माण किया था। मैं समझता हूं कि सिर्फ एन.डी.ए. सरकार की ही बात नहीं करनी चाहिए। एक आम सहमति से, भारत सरकार ने भी इसमें अपनी सहमति दी और राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दी और इन पार्टियों ने त्याग करके झारखंड को बनाया है, इसलिए कोई एक दल या किसी एक गठबंधन को उसका पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपसी सहमति से इस राज्य का निर्माण हुआ है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, झारखंड के बारे में यहां पर चर्चा की गई और बड़ी चिंता व्यक्त की गई। श्री यशवंत सिन्हा जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने कह दिया कि वह फेल स्टेट है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं अपने सहयोगी सुश्री मैबल रिबैलो जी की बात से सहमत हूं कि कमियां थीं और उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन कमियों से बाहर झारखंड निकलेगा। मैं सुश्री मैबल रिबैलो जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो झारखंड की विस्तृत समस्याएं हैं, उनको इन्होंने उठाया है और उनकी क्या रेमैडी हो सकती है? उन्होंने बहुत भावनात्मक तौर पर इन समस्याओं को उजागर किया है। यह बहुत संतोष की बात है कि हमारे ळाारखंड के प्रतिनिधियों में झारखंड के प्रति भावनात्मक रूप से एकता है। वे भावनात्मक रूप से झारखंड की समस्याओं को समझते हैं और उनके निदान के लिए बात करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आखिर इन आठ सालों में जिम्मेदार कौन है? मैंने आपको बताया कि जब हमारे साथियों ने त्यागपत्र दिया और 15 नवम्बर, 2000 को शायद झारखंड बना है। मैं उस समय बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य था। झारखंड नया राज्य बनने पर वहां एन.डी.ए. का शासन हुआ और भाजपा के सदस्य वहां पर मुख्य मंत्री बने। कल यशवंत सिन्हा जी कुछ डील की बात कह रहे थे। मैं न्युक्लियर डील की बात पर बाद में आऊंगा। वहां भाजपा के मरांडी साहब मुख्य मंत्री बनाए गए। उनमें अंदर गुटों में आपस में क्या मामला हुआ कि 2003 होते-होते मरांडी साहब गए और कोई दूसरे साहब मुख्य मंत्री आ गए। फिर थोड़े दिन के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद शिबू सोरेन जी को मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिस पर इनको बड़ी आपत्ति थी। ये भूल गए कि उसी अविभाजित बिहार में, उससे ठीक एक इलेक्शन पहले, श्री नीतीश कुमार जी जिनको बहुमत नहीं था, जो आज बिहार के मुख्य मंत्री हैं, बिहार बंटने के बाद, उन्हीं नीतीश कुमार जी को एन.डी.ए. की सरकार में शपथ दिलवा दी गई। ...(**व्यवधान**)... ऐसा

कभी-कभी काम करने में होता है। यह बात सही है आप 2005 की बात बता रहे हैं और मैं 2000 की बात बता रहा हूं। मैं उसी अविभाजित बिहार की बात बता रहा हूं और सात दिनों के बाद नीतीश कुमार जी को त्यागपत्र देना पड़ा। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी, आप गलत बयानी मत करिए। नीतीश कुमार जी की पार्टी को कितनी संख्या में एम.एल.ए. मिले थे तथा उस वक्त अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में कितने एम.एल.ए. थे, आप यह भी बताइए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही गवर्नर ने बुलाया था, किन्तु झारखंड में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया गया। यही फर्क है और कुछ नहीं। ...(**व्यवधान**)...

डा. शकील अहमद: उपसभाध्यक्ष जी, यह ठीक है। यह सच्चाई है कि राज्यपाल का काम है कि वह आश्वस्त हो जाएं कि कौन सरकार बना सकता है, कौन बहुमत साबित कर सकता है, इसी उम्मीद पर राज्यपाल जी किसी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। अहलुवालिया साहब को उन्होंने क्यों निमंत्रण नहीं दिया? ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)... Sir, that is wrong. *...(Interruptions)...* It is too much, that too coming from the Minister of State for Home Affairs! *...(Interruptions)...* That is wrong. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let him complete. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, no. *...(Interruptions)...* It is wrong, Sir, no. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, are you yielding? *...(Interruptions)...*

DR. SHAKEEL AHMAD: I am not yielding, Sir. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take your seat. *...(Interruptions)...* Let him complete. *...(Interruptions)...* Your Whip is standing. *...(Interruptions)...* Please ask your Members to sit down. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: It was the single largest party. (Interruptions) If nobody has majority, the person who has the largest number of Members *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): After he finishes, you can seek clarification. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, you are in the Chair. ..(Interruptions).. Wrong information should not be given. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If is he not yielding, what can I do? ..(Interruptions).. Are you yielding? *...(Interruptions)...*

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, I am not yielding. *...(Interruptions)...* What I am telling is the truth. ..(Interruptions)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is not telling the facts. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): After he finishes, you can ask a question. ...*(Interruptions)*... आप इनको खत्म करने के बाद पूछ सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Okay, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... माया जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... I will give you time. ...*(Interruptions)*... Your Whip is speaking. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या बात कर रहे हैं, ...(**व्यवधान**)... How can a responsible Minister mislead the House? ...*(Interruptions)*... He is giving wrong information. ...*(Interruptions)*... You read the Supreme Court judgment.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... रांग होगा, राइट होगा, you can ask it in the end. After he finishes, you can ask a question. You know the procedure. If he does not yield.. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member. ...*(Interruptions)*... He is wrong or right you can say about it after he finishes. I am not to decide who is wrong and who is right but I know the procedure. Do not disturb him when he is speaking. ...*(Interruptions)*... If you want, I will allow to speak. ...*(Interruptions)*... I am saying that I will allow you if you want.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is done in the normal circumstances. But when the Minister of State for Home is giving wrong information to the House, ...*(Interruptions)*...

DR. SHAKEEL AHMAD: You can give notice of Privilege Motion if I am giving wrong information. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please do not stand up. ...*(Interruptions)*... The Minister will take care of himself. ...*(Interruptions)*... He does not need your support. ...*(Interruptions)*... बोलिए। राजनीति प्रसाद जी, आप बैठिए। ... ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, आप बोलिए।

डा. शकील अहमद: सर, यह एक सच्चाई है ...(**व्यवधान**)... जब नीतीश जी को ओथ दिलाई गई थी, तब वह समय पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सके और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। मैं इसी की चर्चा कर रहा था, कोई गलत इंफोर्मेशन नहीं दे रहा था। महोदय, एक दूसरी नक्सलवाद की बात आती है, निश्चित रूप से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। यह झारखंड और हमारे अन्य कई राज्यों में भी है। अभी पिछली 7 जनवरी को जो नक्सल प्रभावित 7 राज्य हैं, उनकी बैठक गृह मंत्री जी के साथ, हम लोगों के साथ हुई थी। हमने उसमें कुछ निर्णय किए हैं और नक्सलवाद को रोकने के लिए, पहले से भी कुछ कदम उठाए जा रहे थे। हमने दोनों तरह की बातें की हैं। हमने उनसे संवाद की बात भी कही है। उनको मुख्य धारा में लाने की बात भी कही है और इसके साथ-साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो सकता है, जो प्रशासकीय काम हो सकता है, वह भी करने की कोशिश की गई है। एक कोबरा फोर्स के गठन करने का फैसला हुआ है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए लगभग 13 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए इनको पांच सौ करोड़ रुपए अलग से दिए हैं कि आप अपने पुलिस के इक्वेपमेंट्स को मॉडर्नाइज कीजिए। जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है, हमने उसमें 2008 में 26211 लोगों को रिक्रूट किया है और 7966 के लिए रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है। सन् 2008 में अवेलेबल स्ट्रेंथ 50546 थी। इससे पहले यह 2000 में 23443 थी, तो उस समय से इसमें अब काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 61 नए पुलिस स्टेशन्स बने हैं और झारखंड का जो माडर्नाइजेशन के लिए फंड था, वह लगभग 96 परसेंट खर्च हुआ है। इसके अलावा जो नक्सलाइट्स हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरेंडर की पॉलिसी बनाई गई है कि वे आर्म्स के साथ सरेंडर करेंगे तथा उनको पैसा या और कुछ अथवा एक इंसेंटिव देकर मुख्य धारा में जोड़ने का

प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से भारत सरकार और आज की तारीख में झारखंड सरकार भी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि नक्सलवाद हमारे लिए चिंता का विषय है, इस पर सभी लोगों को चिंतित होना चाहिए और इसके समाधान के लिए सोचना चाहिए। एक बात कही जाती है, विकास का मामला कहा जाता है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, जो व्यावहारिक कठिनाई हो रही है, वह यह है कि जहां मोबाइल के टॉवर लग रहे हैं — यह विकास की बात है, टेलिफोन एक्सचेंज लग रहे हैं, रोड की बात हो रही है, पुल की बात हो रही है, अगर विकास की कमी के कारण ये बातें हो रही थीं, तो हम देखते हैं कि उन इलाकों में मोबाइल टॉवर्स को उड़ाया जा रहा है, टेलिफोन एक्सचेंजेस को उड़ाया जा रहा है, सड़कों और पुलों को तोड़ा जा रहा है। यह केवल विकास का मामला नहीं है। यहां पर कहीं न कहीं और भी कोई गहरी समस्या है। इस पर निश्चित रूप से बैठकर कोई बात होनी चाहिए। हम आपके इस सदन से उम्मीद करते हैं कि सहयोग देंगे। एक बात और है, कभी-कभी अजीब-सी बात हो जाती है, यशवंत सिन्हा जी ने मांग की कि आप घोषणा कीजिए कि इस रेजोल्यूशन के एडॉप्ट होते ही, पास होते ही विधानसभा को तुरंत भंग कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, वे हमारे बहुत ही सीनियर सदस्य हैं कि जिस मोशन पर वह बोल रहे थे, वह मोशन था कि असेम्बली को रिवोक किया जाए, परंतु ये दोनों कंट्राडिक्ट्री बातें हो गईं। एक ऐसा व्यक्ति जो मोशन मूव कर रहा है कि असेम्बली को रिवोक कर दीजिए, उसका सस्पेंशन खत्म कर दीजिए, वही मांग कर रहा कि असेम्बली को डिसोल्व कर दीजिए, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। वे शायद सोचने, भावना या नाराजगी में कुछ कह गए होंगे, लेकिन दोनों बातें कंट्राडिक्ट्री हैं। आप मोशन देखिए, मोशन में है रिवोक किया जाए, सुषमा स्वराज ने जो मूव किया है, वह यही मोशन है, पता नहीं, ऐसा क्यों हुआ है, मगर जहां तक असेम्बली को रिवोक करने का संबंध है, उस मोशन पर हम बोलना चाहते हैं। उसमें यह है कि अगर कोई पोलिटिकल पार्टी या कोई पोलिटिकल ग्रुप यह क्लेम करता है, अगर कोई अल्टरनेटिव सरकार बनती है, तब असेम्बली रिवोक की जाती है। हम लोगों की सूचना के अनुसार अभी तक किसी पोलिटिकल पार्टी, न किसी पोलिटिकल ग्रुप ने यह मांग की है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए आप असेम्बली का सस्पेंशन रिवोक कीजिए, अतः अभी असेम्बली का सस्पेंशन रिवोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में कोई ग्रुप मांग करेगा तो सरकार उस संबंध में विचार करेगी। जहां तक अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड इन परेशानियों से निकलेगा और विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ेगा। जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ उस राज्य की कल्पना और क्रिएशन में यूपीए के जो आज के गठबंधन दल हैं, उन्होंने जो भूमिका निभाई और जो त्याग किया, मंत्री पद छोड़ा और एक तरह से एक विरोधी पार्टी को सरकार दे दी, जिस भावना से उन्होंने त्याग किया कि झारखंड के लोगों का विकास होगा, झारखंड उन्नति करेगा, मैं समझाता हूं कि वह सपना साकार होगा और मैं एक खुशहाल झारखंड की कल्पना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Yashwant Sinha, the mover of the Motion is not here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, I derived no pleasure in presenting the Interim Budget of Jharkhand in the Parliament or for that matter introducing these two Appropriation Bills. This is a function, which is legitimately that of the elected representatives of the people in the Legislative Assembly of Jharkhand. But, Sir, as the things happened, we faced a situation where the Governor had to recommend imposition of the President's rule in the State and that is how we have the subject for discussion before ourselves here today. Sir, I won't like to take much of your time in this matter

because primarily it was a discussion on the extension of the President's Rule in the State and my learned colleague, Dr. Shakeel Ahmadji has replied to the various points raised by the hon. Members. But, from time to time, Sir, as it had to be, there were certain points raised on the financial position of the State and the health of the State. Sir, as it has been said by all the hon. Members participating in the discussion itself, right from day one, the happenings in the State belied the expectations of the people, the great hopes they had, to have this mineral rich State flourishing in economy and also moving forward under various other parameters. For that, I suppose, there is no occasion for us to apportion blame on each other. That is a question which calls for a deeper introspection on the part of each one of us, because different parties, different groups have had occasion, from time to time, to form the Government and rule the State. All that I would like to say, today, is — though it is the Interim Budget for the year 2009-10 that has been presented here and we seek a Vote on Account for the first 4 months also because of the exigencies of the situation — the Government of India, irrespective of which formation was in the Government there, has always been endeavouring, as it has done in the case of all other States, to see that all the Centrally-sponsored Schemes are well by the Government of that State and wherever there was a need to extend any help was always forthcoming.

For the information of the hon. Members of this House, I would like to say that in the year 2006, bank branches in Jharkhand were 1,514 and the average population covered per branch was 19,000. In the year 2008, this number of 1,514 has been increased by 110 to 1,625. The average population covered by each branch has been brought down from 19,000 to 18,000. The banking sector is always conscious of the fact that because of the historical reasons, because of the lower absorptive capacity of the enterprises in the State, the CD ratio in Jharkhand has been lower than the minimum level that we fixed — 40 per cent. The CD ratio, as on March, 2006, was 33.7 per cent and because of the constant endeavours and because of our efforts — I also happened to attend one meeting of the State level Bankers Committee at Ranchi where we urged the banks to expand their services — there has been a modest increase by 31st March, 2008. The CD ratio, today, is 35.1 per cent. The Government of India has launched special efforts. It has got in touch with the IBA and, in consonance with the policies of the Reserve Bank of India, all the banks are being urged, at least, to see that the CD ratio raise above 40 per cent. It was this Government, for the first time, changed the system of collecting data about the CD ratio from the State. We have brought it down to the district level. For each district, there is a district level Review Committee meeting of the banks. We also have the State level Bankers Committee meetings. They discuss this point to see that there is fairly a uniform CD ratio all over the country.

An hon. Member speaking on the VAT collection in the State, referred to a situation where the Chairman of the Empowered Committee of the State Finance Ministers' had, somehow, levied tax, which, I suppose, is not the correct position. It is, in fact, the States themselves levy the rate of tax. But, the point is, in the case of West Bengal, it is stated, it was 4 per cent on motorcars, whereas in case of Jharkhand it is 12.5 per cent and, therefore, the people of Jharkhand stand at

disadvantage position. But, I am afraid, the Government of India has no role in this. And, we would certainly not like that power to be appropriated by the Parliament here, but we would certainly wish for the days when the Legislative Assembly of the State meets again and takes decisions about the tax proposals there. But, coming to that, I find that in terms of both, the tax revenue and the non-tax revenue of the State — I am not talking about the intervention of the Government of India — but the State has shown a growth. I won't like to take much time, but I see that right from the year 2004-05 up to this year, excepting one year, when it declined a little, there was growth all right. There has been a steady growth in both, the tax and the nontax revenue.

A point was made about the agricultural debt waver and debt relief scheme. Before, I come to the point raised by the hon. Member, Shri Jai Prakash Narayan Singh, about the debt waiver, I would like to state very briefly that in the case of Jharkhand, the total number of farmers, who were benefited, was 6,66,426. And, total eligible waiver and relief amounted to about Rs. 790 crores. The point that the hon. Member made was that one bank, that is, the Grain Gola Bank, which is a grain bank is not covered by this scheme. I am afraid it is not covered. Whatever parameters you decide, wherever line you draw, there would always be the individuals or the institutions who would feel that they have been left out. This scheme, for well-thought reasons, was confined to the loans extended by the nationalised banks, by the regional rural banks, as also the cooperative credit institutions. The bank, which the hon. Member has referred to, is not a cooperative credit institution. All those cooperative credit institutions, which are run in different States and in different parts of the country, are covered. The Government of India bore, as you all know, over 65,000 crores of rupees in the form of debt relief and debt waiver. Though this amount may be small, yet it is more a question of decision taken on a well-thought policy that only the banks were covered. The Grain Gola Bank may be called a bank, but it is a grain bank, where it is the grain that was given to the people and that is monetised in terms of some money. As far as this scheme is concerned, much though we would wish the scheme to be a very, very far-reaching scheme, but, nevertheless, the fact remains that you have got to draw a line somewhere. But I understand that the State Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a small amount three crores, and about seventeen thousand people will. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I am coming to your point. But I understand that the Department of Cooperatives of the State Government is considering this point pro-actively. I hope we would look into all the aspects thereof and come to a decision for the benefit of the people involved therein.

So far as Centrally-sponsored schemes are concerned, I would like to refer to the fisheries, which, of course, is an important part here. There is a housing scheme for fishermen in which the Government of India chips in 50 per cent and 50 per cent is borne by the State Government. Then,

there is a Fisheries Training and Extension Scheme which is in the ratio of 80 per cent by the Government of India and 20 per cent by the State Government. The National Fisheries Development Board is in the ratio of 90 per cent by the Government of India and 10 per cent by the State Government. The UPA Government strongly believes that for achieving a higher growth rate on a sustainable basis it is the infrastructure that has to be given due importance in any part of the country. And, I am slightly aware of the fact that the condition of the State is not really what we would want. My hon. colleague referred to the impediments which come in the way of various developmental projects whether they are mobile towers, telephone exchanges, or roads, etc. Sir, the Government of India is alive to these. It is considering ways to even see that development must take place and the national highways, which have been planned, must come up. This would lead to a situation, whereby, we would be able to deal with the Left Wing Extremism also, which really grips the State today. Therefore, whatever system has to be provided, the Government of India would consider that and see that we really are able to construct all the roads which have been planned there.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Sir, out of the 33 districts which are considered to be Left Wing Extremist prone or, rather, affected districts, 20 are from Jharkhand. Out of those, ten are in the intensive category where the Government has thought of providing intensive infrastructure development. Therefore, the Government of India is committed to that. We would, certainly, wish that, as I began by saying, as far as the normal functions of the Budget are concerned, it is that Assembly which has to do that. But, irrespective of that, there are certain functions which the Government of India performs. And, the Government of India is committed to see that this State does not lag behind in the building up of the national highways and other infrastructure.

Sir, I now come to the job situation in the State. Sir, an important point was made about the unemployment situation in the State. We are all conscious of that. But, I would like to bring to the notice of the hon. Members that the number of job cards which has been issued under NREGA is like this. In the year 2006-07, the figure was 30 lakh and odd. In 2007-08, it was more than 30 lakh. In the year 2008-09, more than 33 lakh job cards were issued. The number of BPL families is 50,48,780. It means that these cards have been issued even to people who are outside BPL families.

A point was made that this criteria enumerated for deciding whether a family falls within the definition of the BPL or not is not a very sound one. Therefore, I would like to say that that is for a particular purpose. Given the situation in the country, you have to have a figure like that. You have got to be realistic in fixing your ceiling or your target for different things. But, that does not preclude the Government from moving beyond the BPL line to think of schemes to the advantage of the people, who may be marginally above the BPL families. In this case, in the case of Jharkhand, people above the BPL have also been given the job cards. During the year 2006-07,

more than 51,000 people, almost 50,000 in the next year, and up to January, in the year 2008-09, 40,000 people who got a hundred days job.

Having said this about the position there, there is the more important function for which I stand today, that is, about the Budget Estimates for the year 2009-2010. Sir, here, the Budget Estimates for the year 2009-2010 puts the Revenue Receipts at Rs. 18,494 crores. This shows an increase of Rs. 2,387.05 crores in comparison to the Revised Estimates. I am giving only one figure because I don't want to take the time of the hon. House on certain other things because documents are available to the hon. Members here. I will only refer to one figure to say that the growth may be slow, it may be less. But it is not really that bad like the picture which was painted that there is a decline in the Revenue Receipts and Expenditure. There is, of course, a slight decline in the Capital Receipts and Expenditure. Sir, since we would not like this function to be performed by Parliament for the entire year, we, as a Constitutional requirement, come before the House for the Vote-onaccount for the first four months. With these words, Sir, while I thank the hon. Members for participating in this discussion, I request the House to pass the Bills.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Resolution moved by Dr. Shakeel Ahmad to vote. The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 19th January, 2009, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Motion regarding consideration of the Jharkhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009. The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of a part of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion regarding consideration of the Jharkhand Appropriation Bill, 2009 to vote. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2008-09, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

————————

LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that a fax letter has been received from Shri Nandamuri Harikrishna stating that he is unable to attend the House as he is not feeling fell. He has, therefore, requested for grant of Leave of Absence from 12th to 26th February, 2009, of the current (215th) Session of the Rajya Sabha.

Does he have the permission of the House for remaining absent?

(**No Hon. Member dissented**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

The House is adjourned to meet at 4.45 p.m.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past four of the clock.

————————

The House reassembled at forty-six minutes past four of the clock,

[MR. CHAIRMAN *in the Chair*]

VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, the 215th Session of Rajya Sabha comes to a close. It commenced on 12th February, 2009 with the Rashtrapatiji's Address to both the Houses of Parliament. The Address was discussed in the form of Motion of Thanks which spread over two days and lasted for more than nine-and-a-half hours.